2

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2019-2020)

सत्रहवीं लोक सभा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

[''केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों/राष्ट्रीय मिलिटरी स्कूलों में प्रवेश और रोजगार में ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय'']

दूसरा प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसंबर, 2019/अग्रहायण, 1941 (शक)

दूसरा प्रतिवेदन

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति
(2019-2020)

(सत्रहवीं लोक सभा)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

''केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों/राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में प्रवेश और रोजगार में ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय''

5 फरवरी, 2020 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया।
13 दिसम्बर, 2019 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।
30 दिसम्बर, 2019 को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को प्रस्तुत किया गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसम्बर, 2019/*अग्रहायण,* 1941 (*शक*)

सी॰ओ॰ओबीसी सं॰ 34

मूल्य: 84.00 रुपये

© 2020 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110 002 द्वारा मुद्रित।

विषय–सूची

पृष्ठ

समिति (2019–20) की संरचना ..... (iii)

प्राक्कथन ..... (v)

भाग–एक

व्याख्यात्मक विश्लेषण

अध्याय एक. प्रतिवेदन 1

अध्याय दो. केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों/राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में प्रवेश में अ॰पि॰व॰ के विद्यार्थियों के आरक्षण हेतु संवैधानिक और विधिक उपबंध 4

अध्याय तीन. केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों/राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों के अंतर्गत अध्यापकों एवं स्टाफ के रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व 14

भाग–दो

टिप्पणियां/सिफारिशें 19

अनुबंध

एक. संविधान (93वां संशोधन) अधिनियम, 2005 23

दो. केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु दिशानिर्देश 25

तीन. नवोदय विद्यालय योजना 45

चार. शासी–मंडल द्वारा यथा अनुमोदित सैनिक स्कूल प्रवेश नियमों का सार 52

परिशिष्ट

एक. समिति की 25.10.2019 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश 53

दो. समिति की 19.11.2019 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश 56

तीन. समिति की 12.12.2019 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश 59

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2019-20)

श्री गणेश सिंह — **सभापति**

लोक सभा

सदस्य

2. श्री रमेश बिधूड़ी
3. श्री एस॰ जगतरक्षकन
4. श्री एस॰ ज्योतिमणि
5. श्री दिलेश्वर कामैत
6. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
7. श्री बंदी संजय कुमार
8. श्री सदाशिव किसान लोखंडे
9. डॉ॰ श्रीमती प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे
10. श्री बालक नाथ
11. श्री अजय निषाद
12. डॉ॰ संघमित्रा मौर्या
13. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
14. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील
15. श्री महेश साहू
16. श्री संजय सेठ
17. श्री राम शिरोमणि
18. श्री के॰ सुधाकरन
19. श्री राजेश वर्मा
20. श्री अशोक कुमार यादव

राज्य सभा

21. श्री राम नारायण डूडी
22. श्री टी॰के॰एस॰ एलंगोवन
23. श्री बी॰के॰ हरिप्रसाद
24. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद
25. डॉ॰ बांडा प्रकाश
26. श्री के॰के॰ रागेश
27. श्रीमती विजिला सत्यानंत

28. श्री राम नाथ ठाकुर
29. श्रीमती छाया वर्मा
30. श्री हरनाथ सिंह यादव

सचिवालय

1. श्रीमती अनिता बी॰ पांडा	—	**संयुक्त सचिव**
2. श्री एन॰के॰ पांडे	—	**निदेशक**
3. मो॰ आफताब आलम	—	**अपर निदेशक**
4. श्री जनमेष सिंह	—	**उप सचिव**

प्राक्कथन

मैं, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2019-20) का सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित ''केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों/राष्ट्रीय मिलिटरी स्कूलों में प्रवेश और रोजगार में ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय'' विषय पर यह दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति ने विषय की जांच के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग) तथा रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का दिनांक 25.10.2019 और 19.11.2019 को साक्ष्य लिया। समिति मानव संसाधन विकास मंत्रालय (विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग) तथा रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों का समिति के समक्ष साक्ष्य देने के लिए उपस्थित होने एवं विषय की जांच के संबंध में समिति द्वारा मांगी गयी अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देती है।

3. समिति ने 12.12.2019 को हुई बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया तथा उसे स्वीकार किया।

4. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई मूल्यवान सहायता के लिए समिति उनकी सराहना करती है।

5. संदर्भ की सुविधा हेतु समिति की टिप्पणियां और सिफारिशों को प्रतिवेदन के भाग-दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
12 दिसंबर, 2019
21 अग्रहायण, 1941 (शक)

गणेश सिंह,
सभापति,
अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति।

भाग एक

व्याख्यात्मक विश्लेषण

अध्याय एक

प्रतिवेदन

भारतीय संविधान समाज के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न रूपों में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकारी क्षेत्र में रोजगार में आरक्षण का प्रावधान एक सकारात्मक कार्यवाही है जिसका उद्देश्य उन समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है जिनका सरकारी रोजगार में प्रतिनिधित्व कम है। तथापि, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य है कि समाज के पिछड़े वर्गों के बच्चों को प्राथमिक एवं उच्चतर स्तर पर उचित शिक्षा प्रदान की जाए जिससे विभिन्न स्तरों पर उनकी भागीदारी बढ़ सके। शिक्षा सबके लिए मुक्ति, भागीदारी एवं सामाजिक समानता का सशक्त साधन मानी जाती है। इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अंतर्गत शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए वर्तमान स्कूलों के अतिरिक्त कुछ नई श्रेणी के स्कूल खोले हैं। नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल एवं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इसी श्रेणी के स्कूल हैं जो सरकार द्वारा जनसंख्या के एक विशिष्ट भागी की शैक्षणिक आवश्यकता को पूरा करने या सुस्थापित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए खोले गए हैं। इन स्कूलों के बारे में समिति को निम्न सूचनाएं दी गईं।

केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)

1.2 समिति को बताया गया कि भारत सरकार ने स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकार/रक्षा कर्मचारियों के बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए नवम्बर, 1962 में केन्द्रीय विद्यालय योजना का अनुमोदन किया था। प्रारंभ में, शैक्षिक वर्ष 1963-64 के दौरान रक्षा केन्द्रों में 20 रेजीमेंटल स्कूलों को सेंट्रल स्कूलों के रूप में शुरू किया गया था और उन स्कूलों ने शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की एक इकाई (सेंट्रल स्कूल इकाई) के रूप में कार्य किया था। दिनांक 15.12.1965 को इनको एक सोसायटी के रूप में सेंट्रल स्कूल संगठन के रूप में पंजीकृत किया गया था और एक स्वायत्त संगठन बन गया था। दिनांक 3.07.1967 को, सेंट्रल स्कूल संगठन के नाम को बदलकर केन्द्रीय विद्यालय संगठन कर दिया था जिसने सेंट्रल स्कूलों जिन्हें आगे केन्द्रीय विद्यालय कहा गया है, के खोलने और प्रबंधन का कार्य संभाला। दिनांक 22.10.2019 की स्थिति के अनुसार, काठमांडू, मास्को और तेहरान में कार्यात्मक तीन विद्यालयों सहित 1227 केन्द्रीय विद्यालय हैं।

नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)

1.3 आवासीय स्कूलों जहां ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को अच्छी गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जा सके, की स्थापना के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 की सिफारिशों के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में देश के प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय

(जनवि) की स्थापना की परिकल्पना करते हुए एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई थी। इन जवाहर नवोदय विद्यालयों का संचालन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत वर्ष 1986 में स्थापित नवोदय विद्यालय समिति (नविस) एक स्वायत्त संगठन द्वारा किया जाता है। जवाहर नवोदय विद्यालय सह-शैक्षिक आवासीय स्कूल हैं जिनमें छठी से बारहवीं तक कक्षाएं हैं। जनवि में दाखिला सीबीएसई द्वारा तैयार और आयोजित एक चयन परीक्षा के आधार पर किया जाता है। आज तक, देश में 661 जनवि स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 637 कार्यात्मक हैं।

केवीएस और एनवीएस, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत हैं।

सैनिक स्कूल

1.4 सैनिक स्कूलों (1961 में शुरू) की स्थापना के पीछे उद्देश्य लड़कों को शैक्षणिक, शारीरिक और मानसिक रूप से राष्ट्रीय सैन्य अकादमी (एनडीए) में प्रवेश के लिए तैयार करना था। योजना के अन्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:—

(i) रक्षा सेवाओं के अधिकारी संवर्ग में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना।

(ii) आज के युवाओं को भविष्य के बेहतर नागरिक बनाने हेतु उनके शरीर, मन, हृदय एवं चरित्र का विकास करना।

(iii) पब्लिक स्कूल की शिक्षा को आम आदमी के पहुंच में लाना।

सैनिक स्कूल का प्रबंधन सैनिक स्कूल सोसायटी द्वारा किया जाता है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है। सैनिक स्कूलों का समग्र प्रशासन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बोर्ड आफ गवर्नर्स सैनिक स्कूल नामक एक निकाय में निहित होता है। सैनिक स्कूलों के मामलों पर गरीबी नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए रक्षा सचिव की अध्यक्षता के तहत एक कार्यकारी समिति है। वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत देश में 31 सैनिक स्कूल कार्यरत हैं।

राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल

1.5 रक्षा कर्मियों के बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सैन्य स्कूल की स्थापना किंग जार्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल के रूप में हुई थी। सन् 1952 में इस स्कूल को पब्लिक स्कूल की तर्ज पर पुनर्गठित किया गया तथा इसमें रक्षा सेवा के अधिकारियों एवं सिविलियन्स के बच्चों के लिए प्रवेश खुले थे। सन् 1954 में यह स्कूल इंडियन पब्लिक स्कूल कांफ्रेंस का सदस्य बना तथा आज तक उसका सक्रिय सदस्य बना हुआ है। सन् 1966 में इस स्कूल का पुनर्नामकरण मिलिट्री स्कूल के नाम से हुआ तथा 25 जून 2007 से यह स्कूल अपने वर्तमान नाम 'राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल' के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल (आरएमएस) चैल (हिमाचल प्रदेश), अजमेर (राजस्थान), बेलगाम (कर्नाटक), बेंगलुरू (कर्नाटक) और धौलपुर (राजस्थान) में स्थित हैं। ये स्कूल सीबीएसई से संबद्ध पूर्णत: आवासीय पब्लिक स्कूल हैं जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं।

1.6 यह तथ्य समिति के ध्यान में रहा है कि इन संस्थानों में अ॰पि॰व॰ के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। यह महसूस किया गया कि अ॰पि॰व॰ का रोजगार में उचित प्रतिनिधित्व एवं उनके सशक्तिकरण की संवैधानिक गारंटी सफल नहीं होगी, यदि उनके बच्चों को प्राथमिक एवं उच्चतर स्तर पर, उचित शैक्षणिक अवसर न दिया जाए। तदनुसार, समिति ने अ॰पि॰व॰ को उपलब्ध संवैधानिक अधिकारों एवं विधिक हकदारी के परिप्रेक्ष्य में इन संस्थानों में प्रवेश में उनको आरक्षण प्रदान करने के दावों का विस्तार से परीक्षण करने का निश्चय किया तथा इसके बाद इस प्रतिवेदन में उनकी टिप्पणियां और सिफारिशें दी गई हैं।

अध्याय दो

केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों/राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में प्रवेश में अ॰पि॰व॰ के विद्यार्थियों के आरक्षण हेतु संवैधानिक और विधिक उपबंध

भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में यह वर्णित है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का विशेष ध्यान से संवर्धन करेगा और सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करेगा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों जिसे अ॰पि॰व॰ के रूप में उल्लिखित किया जाता है, से संबंधित व्यक्तियों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा तक पहुंच होना महत्वपूर्ण है। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के अतिरिक्त अन्य गैर-सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े नागारिकों के वर्गों या अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को प्रवेश देने एवं उनकी शैक्षिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा संविधान (93वां संशोधन) अधिनियम, 2005 (**अनुबंध-एक**) अधिनियमित किया गया। संविधान में अन्य उपबंध हैं जो संगत एवं प्रयोज्य हैं उन्हें परवर्ती पैरा में दिया गया है

2.2 संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) में संदर्भित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अलावा गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों जैसे अ॰पि॰व॰ या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक विकास के संवर्धन हेतु संविधान के अनुच्छेद 15 में एक नया खंड 5 अंत:स्थापित किया गया है जिसमें यह प्रावधान है कि यह अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड (1) उपखंड (छ) किसी राज्य को कानून के द्वारा नागारिकों के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए राज्य द्वारा सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट सहित शैक्षणिक संस्थाओं में उनको प्रवेश देने के मामले में विशेष उपबंध करने से रोकेगा नहीं। यहां पर ''शैक्षणिक संस्थान'' पद का संदर्भ उन संस्थानों से है जो अनुच्छेद 30 के खंड (1) में उल्लिखित अल्पसंख्यक संस्थानों के अलावा हैं। नया खंड (5) संसद और राज्य विधान सभा को उपर्युक्त उद्देश्य के लिए उचित कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।

2.3 संविधान (93वां संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा अंत:स्थापित संविधान का अनुच्छेद 15 खंड (5) यह उपबंध करता है कि ''राज्य कानून द्वारा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की प्रगति के लिए जहां तक ऐसे उपबंधों का संबंध उनके निजी शैक्षिक संस्थाओं सहित शैक्षिक संस्थाओं चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हों या गैर-सहायता प्राप्त हों, में प्रवेश लेने से संबंधी प्रावधान कर सकता है''।

2.4 दिनांक 06.05.2014 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 15 के खंड (5) के अंत:स्थापन के साथ संविधान (93वां संशोधन) अधिनियम, 2005 तथा संविधान की

धारा 21क को अंतर्विष्ट करते हुए संविधान (86वां संशोधन) अधिनियम, 2002 संविधान के मूल ढांचे और भावना को परिवर्तित नहीं करते हैं तथा संवैधानिक रूप से वैध हैं।

2.5 संविधान अधिनियम, 2019 को 12 जनवरी, 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई तथा संविधान के अनुच्छेद 15 में खण्ड 5 के बाद खण्ड 6 को अंतर्विष्ट किया गया। अनुच्छेद (6) (ख) इस प्रकार है:—

> ''खंड (4) और खंड (5) में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहां निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे उपबंध, ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली हैं या सहायता न पाने वाली हैं, प्रवेश से संबंधित हैं, जो आरक्षण की दशा में विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम दस प्रतिशत के अध्यधीन होगा।''

2.6 संविधान (93वां संशोधन) अधिनियम, 2005 के अनुसरण के क्रम में केंद्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 (भारत के राजपत्र, असाधारण भाग–दो, खंड–1, दिनांक 04.01.2007 को प्रकाशित 2007 की संख्या 5) केंद्र सरकार द्वारा स्थापित, सहायता प्राप्त अथवा उसकी देखरेख के अंतर्गत कुछ शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबद्ध विद्यार्थियों के प्रवेश में आरक्षण का तथा उससे संबद्ध एवं आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करता है।

2.7 सीईआई (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के पैरा 2 खंड (घ) के अनुसार, केन्द्रीय शैक्षिक संस्था से अभिप्रेत है:—

(i) केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित कोई विश्वविद्यालय;

(ii) संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व की कोई संस्था;

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित और सहायता प्राप्त करने वाली कोई संस्था;

(iv) ऐसी कोई संस्था जो केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अनुरक्षित है या उससे सहायता प्राप्त करती है और जो खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी संस्था से सम्बद्ध है या खंड (iii) में निर्दिष्ट में किसी संस्था की कोई संघटक इकाई है;

(v) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कोई शिक्षा संस्था।

2.8 केंद्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 का पैरा 2 खंड (छ) इस प्रकार है:—

> ''अन्य पिछड़े वर्गों'' का आशय उन नागरिकों के वर्ग अथवा वर्गों से है जो सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, तथा इसका निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।''

केंद्रीय विद्यालयों (केवीज)/नवोदय विद्यालयों (एनवीज में आरक्षण)

2.9 समिति ने केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश में विद्यार्थियों को प्रदान किए जाने वाले आरक्षण का विवरण मांगा। अपने लिखित उत्तर में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा कि:—

> ''सभी केंद्रीय विद्यालयों में सभी नये दाखिलों में 15% सीट अनुसूचित जातियों और 7.5% सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होगी। इसके अतिरिक्त, आरटीई कोटा के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त एससी/एसटी विद्यार्थियों की संख्या पर विचार करने के पश्चात् एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों की कमी का आकलन किया जाता है। कक्षा 1 में प्रत्येक सेक्शन में 10 सीटें (40 सीटों में से) आरटीई प्रावधानों (सीटों का 25%) के अनुसार भरी जाती हैं और इन 10 सीटों को पड़ोस में रहने वाले/दिव्यांगजनों एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस/बीपीएल/ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर) के सभी आवेदनों से ड्रा के जरिये भरा जाएगा। नये दाखिले में कुल उपलब्ध सीटों में से 3% सीटें दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 के साथ पठित आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए आरक्षित होंगी।''

2.10 मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय विद्यालयों में आरक्षण उनके दाखिले संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदान किया जा रहा है। समिति के समक्ष प्रस्तुत केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश संबंधी दिशानिर्देश **अनुबंध-दो** पर दिए गए हैं।

2.11 समिति ने मंत्रालय से नवोदय विद्यालयों में प्रवेश में छात्रों को प्रदान किए जाने वाले आरक्षण का ब्यौरा मांगा। अपने लिखित उत्तर में मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि:—

> ''अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित बच्चों को सीटों का आरक्षण संबंधित जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है बशर्ते किसी जिले में यह आरक्षण राष्ट्रीय औसत से कम नहीं होगा। यदि इन दो श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी के बच्चों की पर्याप्त संख्या योग्य नहीं है तो दो श्रेणियों के बीच सीटों का अंत:परिवर्तन किया जा सकता है। निर्धारित आरक्षण के अनुसार नवोदय विद्यालयों में एससी/एसटी बच्चों का दाखिला सुनिश्चित करने हेतु परीक्षण तकनीकों में आवश्यक सुधार किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, एक तिहाई सीटों को बालिका विद्यार्थियों और 3% सीटों को विशेष रूप से सक्षम बच्चों के द्वारा भरा जाता है।''

2.12 मंत्रालय ने बताया कि नवोदय विद्यालयों में आरक्षण नवोदय विद्यालय योजना और प्रवेश नीति के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया जाता है। नवोदय विद्यालय स्कीम का ब्यौरा **अनुबंध-तीन** पर प्रस्तुत किया गया है।

2.13 यह पूछे जाने पर कि केवीज/एनवीज में पढ़ रहे अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों की संख्या क्या है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव ने दिनांक 25.10.2019 को अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया कि:—

''जहां तक नवोदय विद्यालयों का प्रश्न है, विद्यार्थियों की कुल संख्या 2,73,828 है, जिनमें से अन्य पिछड़े वर्गों के 83.526 विद्यार्थी हैं, जो कि 30.5 प्रतिशत है। जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा, नवोदय विद्यालय में 75 प्रतिशत से अधिक का कोटा ग्रामीण क्षेत्रों का होता है जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाशाली बच्चे आते हैं। इसलिए नवोदय विद्यालयों में 30.5 प्रतिशत विद्यार्थी अन्य पिछड़े वर्गों से, 25.43 प्रतिशत विद्यार्थी अनुसूचित जातियों; 20.30 प्रतिशत विद्यार्थी अनुसूचित जनजातियों से; तथा 23.77 प्रतिशत विद्यार्थी सामान्य वर्ग से आते हैं। महोदय, केंद्रीय विद्यालयों की स्थिति थोड़ी अलग है। यहां विद्यार्थियों की कुल संख्या 12,92,767 है, जिनमें से 2,65,740 विद्यार्थी अनुसूचित जातियों से हैं, जो कि 20.56 प्रतिशत है। अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व अधिक है। अन्य पिछड़े वर्गों के 2,58,624 विद्यार्थी हैं, जो कि 20.01 प्रतिशत है; अनुसूचित जनजातियों के 6.1 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के 46.47 प्रतिशत विद्यार्थी हैं।''

2.14 पूर्वोक्त से यह स्पष्ट है कि केवीज तथा एनवीज में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण नहीं प्रदान किया जाता जबकि उच्च शिक्षा/तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए सीईआई (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए यह उपलब्ध है। केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों में आरक्षण के दायरे से अन्य पिछड़े वर्गों को बाहर रखने का कारण पूछे जाने पर अपने लिखित उत्तर में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बताया कि:—

''स्कूलों में दाखिले से संबंधी केवीएस और एनवीएस की प्रवेश नीति में ओबीसी विद्यार्थियों के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में केन्द्रीय शैक्षिक संस्था (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में उच्चतर शिक्षा विभाग के नीति अनुभाग को परामर्श देने के लिए कहा गया है।''

2.15 मानव संसाधन विकास मंत्रालय से खास तौर पर केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए सीईआई अधिनियम के लागू न होने का कारण पूछा गया, जिस पर अपने लिखित उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि:—

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित जवाहर नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों में उपरोक्त प्रावधान की प्रयोजनीयता का विश्लेषण किया गया और निम्नलिखित स्थिति सामने आई है:—

	केंद्रीय शिक्षण संस्था	टिप्पणियां
	1	2
(i)	केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय;	नवोदय विद्यालयों/केंद्रीय विद्यालयों के लिए लागू नहीं।
(ii)	संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व की कोई संस्था;	नवोदय विद्यालयों/केंद्रीय विद्यालयों के लिए लागू नहीं।

1	2
(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरक्षित और सहायता प्राप्त करने वाली कोई संस्था;	नवोदय विद्यालयों/केंद्रीय विद्यालयों के लिए लागू नहीं।
(iv) केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अनुरक्षित अथवा अनुदान प्राप्त कर रहे संस्था, और खंड (i) अथवा खंड (ii) में संदर्भित किसी संस्था से संबद्ध अथवा खंड (iii) में संदर्भित किसी संस्था की एक संघटक इकाई;	यद्यपि, नवोदय विद्यालय/केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार से नवोदय विद्यालय समिति/केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से अनुदान प्राप्त करते हैं लेकिन वे अधिनियम के खंड (i) अथवा खंड (ii) अथवा खंड (iii) में संदर्भित किसी संस्था की संघटक इकाई से संबद्ध नहीं है।
(v) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित एक शैक्षिक संस्था	जबकि स्वायत्त निकायों अर्थात् नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन केंद्र सरकार द्वारा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की स्थापना करने, विकसित करने और प्रबंधन करने हेतु स्थापित किए गए हैं और स्वत: सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सोसाइटी के रूप में व्यक्तिगत रूप से पंजीकृत नहीं हैं।

उपरोक्त पैरा 2 में सीईआई की परिभाषा के विश्लेषण के अनुसार, जेएनवी और केवी दोनों ही अधिनियम में परिभाषित सीईआई की परिभाषा के दायरे में आते हुए प्रतीत नहीं होते हैं।

2.16 जेएनवी और केवीएस पर सीईआई लागू करने के मुद्दे पर और विस्तार से बताते हुए मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:—

> ''राज्य सभा के तारांकित प्रश्न सं॰ 48 के अनुपूरक का दिनांक 20.7.2017 को और लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं॰ 103 के अनुपूरक का दिनांक 24.07.2017 को उत्तर देते समय, माननीय सांसद और तत्कालीन राज्य मंत्री (स्कूल शिक्षा) द्वारा नवोदय विद्यालयों में ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर दोनों सदनों को आश्वासन दिया गया था कि नवोदय विद्यालय में प्रवेश में ओबीसी छात्रों को आरक्षण देने पर विचार किया जाएगा। केंद्रीय शैक्षिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 में परिकल्पित ओबीसी के लिए आरक्षण के लाभ के प्रावधानों की प्रयोजनीयता के संबंध में मामले को तदनुसार एमएचआरडी के नीति प्रभाग के साथ नीति के परिप्रेक्ष्य से जांच करने के लिए उठाया गया था, जिसने सूचित किया था कि उन्होंने इसे अवलोकन और विचार-विमर्श हेतु नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का मसौदा तैयार करने के लिए स्थापित समिति को संदर्भित किया था।''

2.17 आगे निम्नवत् बताया गया:—

''यद्यपि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए स्थापित समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित थी, तथापि उपर्युक्त दो आश्वासनों को पूरा करने के लिए और अधिक समय मांगा गया था। वर्तमान में, राज्य सभा और लोक सभा में दिए गए आश्वासन के संबंध में समय क्रमश: 19.04.2020 और 23.04.2020 तक बढ़ाया गया है। इस दौरान, मसौदा एनईपी, 2019 उपलब्ध हो गया है, जिसमें स्कूलों में ओबीसी छात्रों के प्रवेश के लिए आरक्षण का लाभ प्रदान करने के संबंध में अलग से कोई संस्तुति नहीं की गई है। अलग से 4.9.2019 को केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने यह पूछा कि केंद्रीय विद्यालय में क्यों ओबीसी छात्रों का आरक्षण उपलब्ध नहीं है। जबकि यह सीईआई (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के संदर्भ में ओबीसी छात्रों के उच्चतर शिक्षा/तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए उपलब्ध है। इसलिए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श के लिए अनुरोध किया है। उपर्युक्त संदर्भ में, मामले को दोबारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नीति प्रभाग को उनकी सलाह हेतु भेजा गया था। नीति प्रभाग यह मानते हुए कि सीईआई अधिनियम, 2006 के उपबंध केवल उच्चतर शिक्षा के सीईआई पर लागू हैं, ने अन्य बातों के साथ-साथ सलाह दी थी कि यदि और स्पष्टीकरण आवश्यक हो, तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। तथापि, चूंकि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग सेवाओं में एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण संबंधी मामलों का निपटान करता है और विचाराधीन मामला स्कूलों में दाखिला के लिए ओबीसी हेतु आरक्षण के प्रावधानों के विस्तार के विषय में है, यह माना गया कि डीओपीटी के साथ मामले को उठाने से किसी उपयोगी उद्देश्य की प्राप्ति की संभावना नहीं है। तदनुसार, केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों में दाखिलों में ओबीसी छात्रों के आरक्षण के प्रावधानों के विस्तार संबंधी मामले को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को उनकी सलाह हेतु भेजा गया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की सलाह की प्रतीक्षा है।''

2.18 विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि ने केवी और एनवी में ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षण नीति का क्रियान्वयन न करने के कारण के बारे में पूछे जाने पर मौखिक साक्ष्य के दौरान निम्नवत् बताया:—

''.....मैं संक्षेप में यह बताना चाहूंगा कि वर्ष 2006 का जो अधिनियम बना है, उसके बारे में पॉलिसी डिवीजन की चर्चा का, अभी आपके वक्तव्य में उल्लेख किया गया। पॉलिसी डिवीजन में एग्जामिनेशन के बाद यह निकला है कि सैक्शन 2 (जे) जो एक्ट का है, उसमें लिखा हुआ है—किसी अध्ययन शाखा में शिक्षण या अनुदेश का तात्पर्य शिक्षा के तीन प्रधान स्तरों स्नातक (अंडरग्रेजुएट), स्नातकोत्तर (पोस्टग्रेजुएट) और डॉक्टोरक्त स्तर पर किसी अध्ययन शाखा में शिक्षण या अनुदेश से है। एक्ट के सैक्शन 2(जे) में ही असमंजस की जो स्थिति है, उसके कारण नवोदय एवं केन्द्रीय विद्यालय और मैं समझता हूं कि शायद सैनिक स्कूल तथा राष्ट्रीय

इंडियन मिलिट्री एकादमी भी प्रभावित हो रहे हैं। असमंजस की स्थिति है कि इन स्कूलों पर लागू हो रहा है या नहीं लागू हो रहा है, क्योंकि स्कूल्स में 'leading to these three levels' यह संभव ही नहीं है। सर, जब यह 30 सितम्बर को रेफरेंस आया तो 30 सितम्बर को पॉलिसी डिवीजन ने दिया, लेकिन विभाग में यह सोचा गया कि इस पर सोशल जस्टिस विभाग से हम को परामर्श करना चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण मुद्दा नहीं है। जैसा आपने स्वयं उल्लेख किया कि जब सरकार की नीति है और जब उच्च शिक्षा संस्थान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है तो जब तक स्कूल में लोग नहीं पढ़ेंगे तो उच्च शिक्षा में वे कैसे प्रवेश पाएंगें, जब तक कि 12वीं तक उन्होंने स्कूल में शिक्षा नहीं ग्रहण की है। सर, इस मामले पर हम लोगों ने सोशल जस्टिस विभाग से राय मांगी है। मैं कोशिश करूंगा कि उनके साथ जल्दी ही निपटारा करूं, लेकिन मुख्य बिन्दु जिसके कारण यह रुका हुआ है, वर्ष 2006 से यही सैक्शन 2(जे) का प्रावधान है। जब एक्ट बनाया गया था, उस समय स्कूलों पर उतना ध्यान शायद न दिया गया हो। इसलिए यह असमंजस की स्थिति मतलब कहा जाए कि एक विसंगति उत्पन्न हो गई।''

2.19 उन्होंने यह भी बताया कि:—

''महोदय, मैंने शुरू में ही कहा है कि समिति की भावना का हम सम्मान करते हैं और मैंने स्वयं भी कहा कि उच्च शिक्षा में विद्यार्थी तभी जाते हैं, जब वे स्कूल में पढ़े हुए हों। मैंने सिर्फ यह एक्सप्लेन किया कि अभी तक जो आरक्षण लागू नहीं हुआ है, वह असमंजस की स्थिति, विसंगति कहां से आ रही है। मैं इसे न्यायोचित नहीं ठहरा रहा हूं कि इसे नहीं दिया जाना चाहिए। हम यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इसे अभी तक क्यों नहीं किया जा सका। यह मेरी पहली बात है। हम सरकार के रूप में नहीं कह रहे हैं कि हम आरक्षण नहीं देंगे। आखिरकार अधिनियम को सरकार की ओर से संसद द्वारा पारित किया गया है। मेरे विचार विसंगति थोड़ी बहुत 2(ज) के निर्वाचन में है। इस कारण से नीति प्रभाग द्वारा दी गई सलाह को पूर्णत: स्वीकार नहीं किया गया है कि आरक्षण नहीं होगा। हमने पुन: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से कहा है कि हम माननीय समिति को आश्वासन दे रहे हैं कि एक उचित समय सीमा अर्थात् तीन महीने के अंदर हम पूरे मामले का समाधान करने का प्रयास करेंगे।''

2.20 ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की संभावना तलाशे जाने के बारे में पूछे जाने पर प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत् बताया:—

''सर, जब अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए नवोदय विद्यालय में आरक्षण आया, तो उसके लिए लोग कैबिनेट तक गए हैं। चूंकि इस एक्ट के बाद समिति के साथ-साथ हमें कैबिनेट को भी सूचना देनी पड़ेगी, क्योंकि यह व्यवस्था परिवर्तन होगा। जब कोई भी नयी पॉलिसी बनती है, हालांकि वह ऑटोनोमस ऑर्गनाइजेशन है, लेकिन चूंकि सरकार से फंडिड है, इसलिए सरकार की सहमति के बिना प्रशासनिक रूप से यह उचित नहीं होगा।''

2.21 जब समिति ने साक्ष्य के दौरान इस समाधान में होने वाले विलंब पर गंभीर चिंता व्यक्त की जिससे नवोदय विद्यालयों/केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले ओबीसी छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा, इस पर उन्होंने तीन महीने का समय मांगा और निम्नवत् आश्वासन दिया:—

''आरंभ में मैंने जो कहा, वह केवल यह बताने के लिए था कि चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ी। ऐसा

नहीं है कि हम इसे करने नहीं जा रहे। सर, मैं तीन महीने के समय के बारे में इसलिए कह रहा हूं कि एडमिशन सीजन शुरू होने के पहले निर्णय हो जाना चाहिए। यह भावना है कि एडमिशन शुरू हो जाएंगे तो उसके बीच में उसको चेंज करना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए हम लोग कोशिश यह करेंगे कि सरकार का निर्णय एडमिशन प्रोसेस शुरू होने के पहले हो जाए कि वर्ष 2020-21 के जो एडमिशन होंगे, वे सरकार के निर्णय के अनुसार होंगे। जो पॉलिसी डिवीजन के बारे में पूछा गया, जिसके संदर्भ में आपने राज्य सभा के प्रश्न और आश्वासन का उल्लेख किया, उसमें वर्ष 2020 तक एक्सटेंशन लिया गया है, लेकिन अगर आप तीन महीने देखेंगे तो जनवरी, 2020 तक ही होगा, उसमें अप्रैल, 2020 या उसके आगे की बात नहीं हो रही है। हम लोग एडमिशन सीजन के पहले ही इस पर सरकार के आदेश को प्राप्त कर लेंगे।''

सैनिक स्कूलों/राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में आरक्षण:

2.22 रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार सैनिक स्कूल सोसाएटी के नियम एवं विनियम (एसएसएसआर एण्ड आर) के नियम 1.12 से 1.14 तक सैनिक स्कूलों में आरक्षण के दायरों को परिभाषित करते हैं। इस नियम के अनुसार:—

''कुल सीट का 15% अनुसूचित जाति और 7.5% अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। प्रत्येक सैनिक स्कूल में शेष खाली स्थान का 67% सीट उस राज्य के लड़कों के लिए आरक्षित होता है जिस राज्य में वह सैनिक स्कूल स्थित है तथा 33% सीटें बाकी दूसरे राज्य के उम्मीदवारों के बीच उनके पुरुष जनसंख्या के अनुपात में वितरित होता है। इनमें से 25% सीटें सेना कर्मियों, भूतपूर्व कर्मियों सहित, के बच्चों के लिए आरक्षित हैं (क्षैतिज आरक्षण)।''

2.23 आगे यह बताया गया कि सन् 1960 में सैनिक स्कूल की स्थापना के साथ ही सैनिक स्कूलों में एससी/एसटी के लिए आरक्षण लागू किया गया था। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अनुमोदित संगत नियमों का उद्धरण सार अनुलग्नक-चार के रूप में संलग्न है।

2.24 इसी प्रकार राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में वर्तमान आरक्षण व्यवस्था निम्नवत् है:—

''(i) **हकदार श्रेणी:**- थल सेना में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त जे॰सी॰ओ/ओ॰आर॰ एवं नौसेना तथा वायु सेना के समकक्ष रैंक वालों के बच्चों के लिए 70% सीट आरक्षित हैं।

(ii) **गैर-हकदार श्रेणी:**- तीनों सेनाओं एवं सिविलियंस के लिए सम्मिलित रूप से 30% सीटें आरक्षित हैं।

(iii) उपरोक्त दोनों वर्गों (हकदार श्रेणी एवं गैर-हकदार श्रेणी) में 15% तथा 7.5% सीटें क्रमश: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होती हैं।

(iv) **कार्रवाई के दौरान शहीद:**- कार्रवाई के दौरान शहीद (केआईए) श्रेणी के लिए कुल 50 सीटें (किसी एक स्कूल में 15 से ज्यादा नहीं) निर्धारित हैं। किसी भी एक समय में सभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों को मिलाकर कार्रवाई के दौरान शहीद (केआईए) श्रेणी के कैडेटों की कुल संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक साल सभी राष्ट्रीय सैन्य स्कूलों

में उत्पन्न रिक्ति के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। वर्तमान में सभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में इस श्रेणी के 12 कैडेट अध्ययनरत हैं।''

2.25 उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि सैनिक/राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में प्रवेश के लिए अनु॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ को तो आरक्षण प्रदान किया जाता है किंतु अ॰पि॰व॰ को आरक्षण नहीं प्रदान किया जाता है। सैनिक/मिलिट्री स्कूलों में अ॰पि॰व॰ के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं होने के बारे में पूछे जाने पर अपने लिखित उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि:—

''सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए एस॰ सी॰/एस॰ टी॰ छात्रों के अनुरूप ओ॰बी॰सी॰ छात्रों को आरक्षण का लाभ नहीं है। सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए ओ॰बी॰सी॰ आरक्षण लागू करने हेतु सैनिक स्कूलों की अगली बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीटिंग में प्रस्ताव लाया जाएगा। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में ओ॰बी॰सी॰ वर्ग के छात्रों के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं है। इस विषय पर निर्णय लेने हेतु राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के सेन्ट्रल गवर्निंग काउंसिल (सीजीसी) सक्षम प्राधिकारी हैं।''

2.26 मंत्रालय ने आगे बताया कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में प्रवेश में अ॰पि॰व॰ के आरक्षण संबंधी विषय को केंद्रीय शासी परिषद की अगली बैठक में उठाया जाएगा।

2.27 सैनिक स्कूलों/राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में प्रवेश में अ॰पि॰व॰ के आरक्षण प्रदान करने के विषय पर साक्ष्य के दौरान रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि ने कहा कि:—

''आदरणीय सभापति महोदय, अभी आप ने जो बात कही, उसी भावना को देखते हुए हमने सैनिक स्कूल तथा बोर्ड के बारे में अपने जवाब में बताया है। सैनिक स्कूल में ओबीसी रिजर्वेशन को लागू करने के लिए हमने अगले बोर्ड मीटिंग में एजेंडा रखने का प्लान बनाया है। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बोर्ड है और उसमें हम इस विषय को कंसीडर करने के लिए रखेंगे।''

2.28 उन्होंने आगे यह भी कहा कि:—

''मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो सैनिक स्कूल तथा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं, वे हमारे एक खास उद्देश्य से बनाए गए हैं। महोदय, आपको भी मालूम है कि हमारे देश की जो सेना है, उनकी जो फिजिकल तथा मेंटल रिक्वायरमेंट हैं, उसकी ट्रेनिंग इन स्कूलों में दी जाती हैं। उसी उद्देश्य के साथ इसको बनाया गया है और उद्देश्य के लिए ये स्कूल्स काम कर रहे हैं। इसकी वजह से इन स्कूलों में ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं हो, ऐसा बिलकुल नहीं है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एनालिसिस किया है और लगभग 25 से 26 प्रतिशत हमारे बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आ रहे हैं, उनको सेलेक्शन मेरिट के बेसिस पर किया जाता है। वे फिजिकल पैरामीटर्स और दूसरे क्वालीफिकेशंस के बेसिस पर आते हैं और वे अभी ओबीसी कैटेगरी के हैं। हमारी आर्मी की अपनी एक रिक्वायरमेंट है।''

2.29 इस विषय पर उप सेनाध्यक्ष ने बताया कि:—

''जैसा हमें फीगर्स दिए गए हैं, उनके अनुसार हमारे राष्ट्रीय स्कूल्स में तकरीबन 25-26 परसेंट ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं, हमें इनको फॉरम्लाइज करने में कोई आपत्ति नहीं है अगर वह संवैधानिक प्रोविजन है। हम उसका पालन जरूर करेंगे। मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा और आपने भी इसका जिक्र किया कि क्यों हम यह कहकर उनका मनोबल कम करें कि आप रिजर्वेशन के माध्यम से आए हैं। जब वे ओपनमेरिट से आ रहे हैं, अपने बल पर आ रहे हैं, तो क्यों नहीं वही रखा जाए। हम उसमें 27 परसेंट जरूर डाल सकते हैं, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह अपने आप 25 परसेंट हो गया है। इसे हम 27 परसेंट भी कर देंगे। जितने लोग अप्लाई करेंगे, उतने

लोगों को एडमिशन लेने को मौका मिलेगा। कभी भी हमने किसी वर्ग के लोगों को मना नहीं किया है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आर्मी ज्वाइन करें। हमने कभी किसी को वापिस नहीं भेजा है।''

अध्याय तीन

केंद्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों/राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों के अंतर्गत अध्यापकों एवं स्टाफ के रोजगार में अ॰पि॰व॰ का प्रतिनिधित्व

नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों में अध्यापकों और अन्य सहायक स्टाफ की भर्ती की गयी तथा क्रमश: नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं।

3.2 समिति को केंद्रीय विद्यालय संगठन में विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की संख्या तथा इनके बीच अ॰पि॰व॰ के कर्मचारियों की संख्या दी गयी तथा इसका विवरण निम्नवत् है:—

क्र॰सं॰	पद का नाम	कर्मचारियों की संख्या	अ॰पि॰व॰ के कर्मचारी	अ॰पि॰व॰ की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	आयुक्त	1	0	0%
2.	अपर आयुक्त (प्रशासन)	0	0	0%
3.	अपर आयुक्त (अकादमिक)	1	0	0%
4.	संयुक्त आयुक्त	3	1	33.33%
5.	संयुक्त आयुक्त (वित्त)	0	0	0%
6.	अधीक्षक अभियंता	0	0	0%
7.	उपायुक्त	29	6	20.68%
8.	उपायुक्त (वित्त)	0	0	0%
9.	उपायुक्त (प्रशासन)	0	0	0%
10.	सहायक आयुक्त (प्रशासन)	3	0	0%
11.	सहायक आयुक्त (वित्त)	2	1	50%
12.	सहायक आयुक्त	68	14	20.58%
13.	कार्यकारी अभियंता	2	0	0%
14.	प्रधानाध्यापक	977	235	24.05%
15.	उप प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापक ग्रेड II	490	140	28.57%

1 2	3	4	5
16. प्रशासनिक अधिकारी	18	1	5.55%
17. प्रोग्रामर	0	0	0%
18. वित्त अधिकारी	24	1	4.16%
19. अनुभाग अधिकारी	29	0	0%
20. तकनीकी अधिकारी	2	1	50%
21. सहायक निदेशक (ओ॰एल॰)	1	0	0%
22. सांख्यिकीय अधिकारी	0	0	0%
23. सहायक संपादक	1	0	0%
24. निजी सचिव	3	0	0%
25. पीजीटी (भौतिकी)	1248	327	26.20%
26. पीजीटी (रसायन)	1198	309	25.79%
27. पीजीटी (गणित)	1144	321	28.05%
28. पीजीटी (जीवविज्ञान)	938	233	24.84%
29. पीजीटी (अंग्रेजी)	1131	287	25.37%
30. पीजीटी (हिन्दी)	944	259	27.43%
31. पीजीटी (इतिहास)	378	105	27.77%
32. पीजीटी (अर्थशास्त्र)	741	214	28.87%
33. पीजीटी (भूगोल)	378	104	27.51%
34. पीजीटी (वाणिज्य)	696	213	30.60%
35. पीजीटी (कंप्यूटर विज्ञान)	1049	344	32.79%
36. पीजीटी (जैव तकनीकी)	26	7	26.92%
37. टीजीटी (हिन्दी)	1940	538	27.73%
38. टीजीटी (अंग्रेजी)	2415	658	27.24%
39. टीजीटी (संस्कृत)	1264	314	24.84%
40. टीजीटी (सामाजिक अध्ययन)	1979	538	27.18%
41. टीजीटी (गणित)	2408	677	28.11%
42. टीजीटी (विज्ञान)	1553	405	26.07%
43. टीजीटी (कार्य अनुभव)	1114	281	25.22%

1	2	3	4	5
44.	टीजीटी (कला शिक्षा)	1104	357	32.33%
45.	टीजीटी (शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा)	1092	315	28.84%
46.	टीजीटी (पुस्तकालयाध्यक्ष)	1168	310	26.54%
47.	पीआरटी (संगीत)	1196	298	24.91%
48.	प्राथमिक शिक्षक	13302	3571	26.84%
49.	सहायक अनुभाग अधिकारी	405	69	17.03%
50.	वरिष्ठ सचिवालय सहायक	1059	241	22.75%
51.	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	928	281	30.28%
52.	उप स्टाफ	3708	672	18.12%
53.	चालक	7	0	0%
54.	आशुलिपिक ग्रेड II	19	8	42.10%
55.	हिंदी अनुवादक	20	4	20%
	कुल योग	48206	12660	26.26%

3.3 विशिष्ट रूप से पूछे जाने पर कि क्या उपर्युक्त दिखायी गयी अ॰पि॰व॰ के कर्मचारियों की संख्या आरक्षण कोटे के अंतर्गत भर्ती की गयी है या उनको उनकी मेरिट पर चयनित किया गया है, 25 अक्तूबर, 2019 को हुए साक्ष्य के दौरान आयुक्त, केवीएस ने निम्नवत् साक्ष्य दिया:—

''सर, इसमें मेरिट के आधार पर भी आए हैं।''

3.4 केवीएस में आरक्षण के तहत 27 प्रतिशत अ॰पि॰व॰ कोटा भरने तथा अभ्यर्थियों को अपनी मेरिट पर चयनित न होने के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने पुन: बताया कि:—

''सर, जैसा मैंने पहले कहा कि हम अभी तक उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं। वह क्रमश: होता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों के रिक्रूटमेंट का आंकड़ा मैंने माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है, उसमें आरक्षण की सीमा का जो टार्गेट है, उसे हम फुलफिल कर रहे हैं।''

3.5 समिति समझती है कि *इंदिरा साहनी एवं अन्य* बनाम *भारत संघ* के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने 1992 अनुपूरक (3) एससीसी 217 में पैरा संख्या 81 में बताया कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी जो खुली प्रतियोगिता क्षेत्र में अपनी मेरिट के आधार पर चयनित होते हैं उनको उनके लिए आरक्षित कोटे में उसकी गणना नहीं की जायेगी तथा उनकी गणना खुली प्रतियोगिता अभ्यर्थियों के रूप में की जायेगी। डीओपीटी के दिनांक 02.07.1997 के का॰ ज्ञा॰ सं॰ 36012/2/96–स्थापना (आ॰) के अनुसार यह भी स्पष्ट है कि केंद्र सरकार की नौकरियों एवं सेवाओं में सीधी भर्तियों में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी जो कि सामान्य अभ्यर्थियों के लिए लागू मानकों पर चयनित होते हैं, उनका समायोजन आरक्षित रिक्तियों में नहीं किया जायेगा।

3.6 जब समिति ने केवीएस में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सम्पर्क अधिकारियों के ब्यौरे के साथ उनका नाम एवं जाति, पता, ई-मेल और टेलीफोन नम्बर के बारे में पूछा, तो समिति को निम्नवत् बताया गया:—

''अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अभी तक अलग से किसी सम्पर्क अधिकारी को नामित नहीं किया गया है।''

3.7 समिति को नवोदय विद्यालय समिति में विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की संख्या और उनमें से अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की संख्या निम्नवत् बताई गई:—

क्र॰ सं॰	पद का नाम	कर्मचारियों की संख्या	अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारी	अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों का प्रतिशत
1.	सहायक आयुक्त (शैक्षणिक)	9	2	22.22%
2.	सहायक आयुक्त (प्रशासन)	5	1	20%
3.	सहायक अनुभाग अधिकारी	18	4	22.22%
4.	लेखापरीक्षक सहायक	36	9	25%
5.	हिन्दी अनुवादक	5	0	0%
6.	आशुलिपिक	47	8	17.02%
7.	कम्प्यूटर परिचालक	8	2	25%
8.	कार चालक	13	1	7.69%
9.	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	66	13	19.69%
10.	एमटीएस	76	5	6.57%
11.	प्रधानाचार्य (समूह क)	288	85	29.51%
12.	पीजीटी (समूह ख)	3664	1242	33.89%
13.	टीजीटी (समूह ख)	4467	1428	31.96%
14.	शिक्षकों के विविध वर्ग (समूह ख)	2650	790	29.81%
15.	गैर-शिक्षण स्टाफ (समूह ग)	7473	2062	27.59%
	कुल	18825	5652	30.02%

3.8 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में समूह 'क', 'ख' , 'ग' और 'घ' पदों पर अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के कर्मचारियों का ब्यौरा:—

क्र॰ सं॰	विद्यालय का नाम	स्टाफ वर्ग समूह 'क'			समूह 'ख'			समूह 'ग'			समूह 'घ'		
		संस्वीकृत	भरे हुए पद	अन्य पिछड़े वर्ग	संस्वीकृत	भरे हुए पद	अन्य पिछड़े वर्ग	संस्वीकृत	भरे हुए पद	अन्य पिछड़े वर्ग	संस्वीकृत	भरे हुए पद	अन्य पिछड़े वर्ग
1.	चैल	10	8	1	12	9	0	17	10	2	68	62	8
2.	अजमेर	10	8	0	12	7	2	17	15	8	68	56	20
3.	बेलगाम	10	9	2	12	9	2	17	14	2	68	61	12
4.	बेंगलुरु	10	8	0	12	8	2	17	14	2	68	57	10
5.	धौलपुर	10	8	0	12	7	2	17	17	11	68	51	17
	कुल	**50**	**41**	**3**	**60**	**40**	**8**	**85**	**70**	**25**	**340**	**287**	**67**

3.9 सैनिक स्कूलों में रोजगार में ओबीसी के प्रतिनिधित्व के संबंध में रक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नवत् आंकड़े उपलब्ध कराए गए:—

क्र॰ सं॰	पद का ब्यौरा	कर्मचारियों की संख्या	अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारी	अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों का %
1.	शैक्षणिक और प्रशासनिक स्टाफ	1181	220	18.62
2.	सामान्य कर्मचारी	973	226	27.33
	कुल	2154	446	20.70

भाग दो

टिप्पणियां/सिफारिशें

1. विशेष प्रयोजन विद्यालयों की पहुंच का विस्तार करने के लिए अनिवार्य कदम

केन्द्रीय विद्यालय योजना को स्थानांतरणीय केन्द्रीय सरकार/रक्षा कर्मचारियों के बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए नवंबर, 1962 में अनुमोदित किया गया था और ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 1986 में केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत आवासीय नवोदय विद्यालय शुरू किए गए। इसके अतिरिक्त, लड़कों को प्रमुख उद्देश्य से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश दिलाने के लिए शैक्षिक, शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना था। रक्षा कार्मिकों के पुत्रों की शिक्षा का ध्यान रखने के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों की स्थापना की गई थी। समिति समझती है कि सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल तथा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जनसंख्या के विशेष वर्ग की शैक्षिक आवश्यकताओं तथा स्पष्ट रूप से निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने को ध्यान में रखते हुए खोले गए हैं। ये संस्थाएं अपने-अपने लक्ष्यों को अपने तरीकों से प्राप्त करने की दिशा में कार्यरत हैं। समिति पाती है कि नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल अब तक वंचित क्षेत्रों और वर्गों तक अच्छी गुणवत्तावाली सार्वजनिक विद्यालयी शिक्षा का प्रसार करते हुए प्रतिभा तलाशने का कार्य कर रहे हैं। दूसरी तरफ, केन्द्रीय विद्यालय और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल केन्द्रीय सरकार/रक्षा कर्मचारियों के बच्चों पर गहन ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। वर्तमान में देश में 1227 केन्द्रीय विद्यालय, 637 नवोदय विद्यालय, 31 सैनिक स्कूल और 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चल रहे हैं। इन संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के महत्व की सराहना करते हुए, समिति की इच्छा है कि 24 नवोदय विद्यालय जो स्वीकृत किए गए हैं परंतु चालू नहीं हुए हैं उन्हें और देरी किए बिना चालू किया जाए तथा गुणवत्तापरक शिक्षा की बढ़ती मांग तथा इन विशेष प्रयोजन संस्थानों तक पहुंच बढ़ाने का ध्यान रखने के लिए देश के पिछड़े क्षेत्रों में चार श्रेणियों में और विद्यालय खोले जाएं।

2. केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों में प्रवेश में ओबीसी आरक्षण

समिति यह नोट करके दुखी है कि केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों में भी प्रवेश में ओबीसी के आरक्षण हेतु अब तक कोई प्रावधान नहीं है जबकि यह अजा/अजजा छात्रों को दिया जा रहा है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) में प्रवेश नीति/दिशा-निर्देशों के समर्थनकारी उपबंधों के अनुसार प्रवेश में अजा/अजजा छात्रों को आरक्षण दिया जा रहा है। समिति को यह पता करके दुख है कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के बाद से गत तेरह वर्षों में ओबीसी आरक्षण को सम्मिलित करने वाली अपनी प्रवेश नीति को केवीएस और एनवीएस ने संशोधित नहीं किया है। समिति का सुविचारित मत है कि केन्द्रीय शिक्षा संस्था अधिनियम के उपबंध ओबीसी छात्रों हेतु प्रवेश में सीटें आरक्षित करना केवीएस और एनवीएस पर कानूनी रूप से अनिवार्य है क्योंकि संस्थाओं को अधिनियम की धारा 2(घ) के अंतर्गत स्पष्ट रूप से सम्मिलित किया गया है। समिति यह नोट करके परेशान है कि

विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग पहले तो धारा 2(घ) की मनमानी व्याख्या करके और बाद में 'अध्ययन की किसी शाखा में शिक्षण अथवा अनुदेश' की परिभाषा से संबंधित अधिनियम की धारा 2(ञ) को चर्चा में लाकर मुद्दे पर भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। समिति इस बात पर जोर देती है कि दोनों उपर्युक्त परिभाषा खंडों का अधिनियम के प्रचालनात्मक भागों पर अधिभावी प्रभाव नहीं हो सकता। मुख्य संविधि के शब्द इसकी प्रयोज्यता के बारे में स्पष्ट हैं और इनमें अपवर्जनों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

इसके अतिरिक्त, संविधान (93वां संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा अंत:स्थापित संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (5) तथा संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा अंत:स्थापित संविधान का अनुच्छेद 15(6)(ख) के अनुसरण में समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों को सभी निजी शैक्षणिक संस्थानों, चाहे वे सरकार से अनुदान प्राप्त हो या नहीं हो, तथा अनुच्छेद 30 के खंड (1) में उल्लिखित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के अलावा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं अन्य प्राधिकारों संबद्ध हो में प्रवेश में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।

समिति द्वारा इस मामले को मंत्रालय के साथ सक्रियतापूर्वक उठाए जाने के पश्चात्, विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग ने मौखिक साक्ष्य के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में ओबीसी को प्रवेश में आरक्षण देने पर सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन दिया और इसके कार्यान्वयन हेतु तीन महीनों का समय मांगा। समिति ने इस बात की पुरजोर सिफारिश की कि के॰वी/एन॰वी॰ में प्रवेश में ओबीसी के आरक्षण संबंधी निर्णय तीन महीने के भीतर लिया जाए और कार्यान्वित किया जाए ताकि ओबीसी छात्रों द्वारा 2020-21 सत्र में आरक्षण लाभ बिना किसी कठिनाई के प्राप्त किए जा सकें। वे चाहते हैं कि उन्हें की-गई-कार्रवाई चरण पर तद्नुसार अवगत कराया जाए।

3. सैनिक स्कूलों/राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में प्रवेश में अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण

समिति यह समझती है कि सैनिक स्कूलों तथा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल रक्षा सेवाओं के अधिकारी संवर्ग में क्षेत्रीय असंतुलन हटाने तथा रक्षा कर्मियों के बच्चों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखने के व्यापक उद्देश्य से खुले हैं। सैनिक स्कूलों में कुल सीटों में से 15% सीटें अनुसूचित जाति तथा 7.5% अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं तथा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में अर्ह तथा अनर्ह वर्गों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमश: 15% तथा 7.5% सीटें आरक्षित हैं। तथापि, समिति इन स्कूलों में अपिव के अभ्यर्थियों का आरक्षण का लाभ नहीं प्रदान करने का कारण समझने में असमर्थ है। समिति यह महसूस करती है कि सरकार सशस्त्र सेनाओं की सख्त भौतिक तथा मानसिक आवश्यकताओं की जरूरत को देखते हुए अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण नहीं प्रदान करने पर निर्णय नहीं ले पा रही है, क्योंकि आरक्षित वर्गों के बच्चे निस्संदेह रूप से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के समान ही सभी अर्हताओं को पूरी करने में समर्थ हैं। समिति रक्षा मंत्रालय द्वारा व्यक्त किए गए इस मत से भी सहमत नहीं है कि चूंकि 25-26% अपिव विद्यार्थी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में खुली मेरिट के आधार पर अपना नामांकन प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, उनके लिए एक विशेष कोटे के निर्धारण से उनके मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके बजाय समिति समझती है कि अन्य पिछड़े वर्गों के जिन उम्मीदवारों का उनकी योग्यता के आधार पर चयन हुआ है ये केवल वह कुछ उम्मीदवार हैं जिन्होंने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की सीमाबद्धता से पार पा लिया है और ऐसे में उनके समावेशन का सामाजिक न्याय से कोई अभिप्राय नहीं है। समिति का विचार है कि सैनिक

स्कूलों और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में प्रवेश में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित होगा कि अन्य पिछड़े वर्गों की आबादी के जरूरतमंद और वंचित वर्गों को इन सम्मानित संस्थानों में दाखिला देने का अवसर दिया जाएगा जो अन्यथा अपने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते थे। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय ने समिति को पुनः आश्वासन दिया है कि सैनिक स्कूलों और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में प्रवेश में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन का मामला संबंधित स्कूलों के निदेशक मंडल/केन्द्रीय शासी परिषद् की अगली बैठक के दौरान लिया जाएगा। समिति पुरजोर महसूस करती है कि आरक्षण के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों को सभी सरकारी संस्थानों द्वारा कठोरता से पालन किया जाना चाहिए और अतः सिफारिश करती है कि सैनिक स्कूलों/राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में प्रवेश के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के मामले पर बोर्ड की आगामी बैठक में बिना चूक के सकारात्मक रूप से निर्णय लिया जाए ताकि अन्य पिछड़े वर्गों के पात्र उम्मीदवारों के प्रति कोई पूर्वाग्रह न हो। समिति को इसके परिणाम से अवगत कराया जाए।

4. केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) के अंतर्गत रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति में अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों का कुल प्रतिनिधित्व क्रमशः 26.26 प्रतिशत और 30.02 प्रतिशत है और इन दो संगठनों में विभिन्न पदों पर कार्यरत्त अन्य पिछड़े वर्गों का कुल प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर लिया गया है फिर भी कुछ पद हैं जिनमें उनका प्रतिनिधित्व अपेक्षा से कम हैं। उदाहरण के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सहायक आयुक्त, सहायक अनुभाग अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारियों के पदों पर अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 20.58 प्रतिशत, 17.03 प्रतिशत और 18.12 प्रतिशत है। इसी प्रकार नवोदय विद्यालय समिति में आशुलिपिकों, कनिष्ठ सचिवालय सहायक और बहुकार्य कर्मचारियों का प्रतिशत क्रमशः 17.02, 19.69 और 6.51 है। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए स्वतः सक्रिय कदम उठाने चाहिए कि उपरोक्त वर्णित पदों पर अन्य पिछड़े वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व पूरा हो।

समिति समझती है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि संगठन में अन्य पिछड़े वर्गों के कुछ कर्मचारियों का चयन उनकी अपनी योग्यता के आधार पर हुआ है। तथापि, उनके नामों को अन्य पिछड़े वर्गों के कोटे के लिए निर्धारित सीटों में नहीं हो सकती है। अतः समिति का दृढ़ मत है कि उन कर्मचारियों की गणना जिनका चयन आरक्षित सीटों के अंतर्गत अपनी योग्यता के आधार पर हुआ है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी मार्गनिर्देशों का उल्लंघन है और वह गैर-कानूनी है। इसलिए समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपने अधीन शैक्षणिक संस्थानों/विभागों/स्वायत्त संगठनों में भर्ती में ओबीसी आरक्षण के संबंध में डीओपीटी के सभी आदेशों तथा दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करना चाहिए ताकि ऐसे ओबीसी अभ्यर्थी जो अपने मेरिट पर चयनित होते हैं, को आरक्षित श्रेणी में समायोजित नहीं करना सुनिश्चित किया जा सके। समिति यह भी चाहती है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन में अपने मेरिट पर चयनित होने वाले ओबीसी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य ओबीसी कर्मचारियों की संख्या पता लगाने के लिए नये सिरे से कार्यवाही की जाए। इस कार्यवाही के आधार पर नये सिरे से रिक्तियों को भरा जाए और इस चरण में किए गये कार्यवाही से समिति को अवगत कराया जाए।

5. सैनिक स्कूलों और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों के अंतर्गत रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण

समिति इस बात पर बल देना चाहती है कि सभी सरकारी संस्थान/प्रतिष्ठापन संवैधानिक रूप से इंदिरा साहनी मामले में दिए गए निर्णय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए जा रहे मार्गनिर्देशों के आलोक में अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को रोजगार में आरक्षण देने के लिए बाध्य हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को रोजगार में आरक्षण से संबंधित सूचना की जांच करते समय समिति ने नोट किया कि यह संवैधानिक रूप से अधिदेशित 29 प्रतिशत से काफी कम है। वास्तव में समूह 'क' के अंतर्गत 41 कर्मचारियों में से अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की संख्या मात्र तीन है। इसी प्रकार समूह 'ख' में कुल 40 में से अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की संख्या मात्र 8 है। सैनिक स्कूलों में अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के संबंध में समिति नोट कर पुन: चिंतित है कि शैक्षणिक और प्रशासनिक स्टाफ सहित सामान्य कर्मचारियों में 20.70 प्रतिशत प्रतिनिधित्व अन्य पिछड़े वर्गों को दिया गया है। यह भी चिंता की बात है कि शैक्षणिक और प्रशासनिक स्टाफ में यह प्रतिनिधित्व मात्र 18.62 प्रतिशत है। समिति उपर्युक्त बताए गए तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों (आरएमएस) और सैनिक स्कूलों में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के कार्यान्वयन में गंभीरता का अभाव स्पष्ट रूप से देख सकती है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि सैनिक स्कूलों/राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को रक्षा मंत्रालय द्वारा ईमानदारीपूर्वक कार्यान्वित किया जाए ताकि ओबीसी की सभी रिक्तियों के बारे में विज्ञपन निकाला जाए एवं ओबीसी को आरक्षण संबंधी डीओपीटी के संगत आदेशों व दिशानिर्देशों के अनुसार तत्काल भरा जाए।

6. डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं॰ 36036/3/2018-स्थापना (आरईएस) दिनांक 15.05.2018 के अनुसार सभी अस्थायी नियुक्तियों, जो 45 या अधिक दिनों से है, में एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण होगा। समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि 45 दिनों या उससे अधिक अस्थायी तैनाती के संबंध में डीओपीटी के संगत कार्यालय ज्ञापन और दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए और मानव संसाधन विकास मंत्रालय अपने सभी सम्बद्ध संस्थानों/स्वायत्त संस्थानों में ओबीसी की अस्थायी नियुक्तियों हेतु पृथक रोस्टर रजिस्टर तैयार करे।

7. ओबीसी के लिए सम्पर्क अधिकारी

समिति मानती है कि डीओपीटी ने सम्पर्क अधिकारियों का नाम निर्देशन, उनकी भूमिका, कर्तव्य और जिम्मेदारियां तथा केन्द्रीय सरकार के पदों और सेवाओं में आरक्षण के आदेशों के प्रवर्तन हेतु सम्पर्क अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किया है। 04.01.2013 को यह दोहराया गया कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय में प्रशासन प्रभारी उप-सचिव (न्यूनतम उप-सचिव के रैंक का कोई अन्य अधिकारी) को ओबीसी के प्रतिनिधित्व से संबंधी मामलों का संपर्क अधिकारी नामित किया जाना चाहिए। इस संबंध में समिति नोट करती है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने ओबीसी के लिए पृथक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है और इसलिए, यह डीओपीटी के जारी अनुदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है। समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि ओबीसी का प्रतिनिधित्व और कल्याणकारी उपायों से संबंधित मामलों को लागू करने के लिए ओबीसी के लिए पृथक संपर्क अधिकारी नामित किया जाए और संपर्क अधिकारी को केवल ओबीसी श्रेणी से ही नामित किया जाए।

नई दिल्ली;
12 दिसंबर, 2019
21 अग्रहायण, 1941 (शक)

गणेश सिंह,
सभापति,
अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति।

विधायी विभाग
LEGISLATIVE
DEPARTMENT

THE CONSTITUTION (NINETY-THIRD AMENDMENT) ACT, 2005

THE CONSTITUTION (NINETY-THIRD AMENDMENT) ACT, 2005

No. 93 of 2005

[20th January, 2006.]

An Act further to amend the Constitution of India.

BE it enacted by Parliament in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.

Short title and commencement

(1) This Act may be called the Constitution (Ninety-third Amendment) Act, 2005.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. Amendment of article 15.—In article 15 of the Constitution, after clause (4), the following clause shall be inserted, namely:—

Amendment of article 15.

"(*5*) Nothing in this article or in sub-clause (g) of clause (*1*) of article 19 shall prevent the State from making any special provision, by law, for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in so far as such special provisions relate to their admission to educational institutions including private educational institutions, whether aided or unaided by the State, other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of article 30.".

T. K. VISWANATHAN
Secy. to the Govt. of India.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Greater access to higher education including professional education to a larger number of students belonging to the socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been a matter of major concern. At present, the number of seats available in aided or State maintained institutions, particularly in respect of professional education, is limited in comparison to those in private unaided institutions.

2. It is laid down in article 46, as a directive principle of State policy, that the State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people and protect them from social injustice. To promote the educational advancement of the socially and educationally backward classes of citizens or of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in matters of admission of students belonging to these categories in unaided educational institutions, other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of article 30 of the Constitution, it is proposed to amplify article 15.

3. The Bill seeks to achieve the above objects.

NEW DELHI;
The 9*th December*, 2005

ARJUN SINGH

अनुबंध दो

GUIDELINES FOR ADMISSION IN

KENDRIYA VIDYALAYAS

PART A

GENERAL GUIDELINES

1. In supersession of all the guidelines governing admissions in Kendriya Vidyalayas that have been Issued in the past, the following guidelines are issued to regulate admissions in the kendriya Vidyalayas with effect from the academic session 2019-20 & onwards. These guidelines are not applicable to Kendriya Vidyalayas located abroad.

2. DEFINITIONS

Unless the context suggests otherwise, the definition of the following terms used in these guidelines would be as below:

(i) CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES: An employee who is regular (*i.e.* appointed against a substantive post) and draws his emoluments from the Consolidated Fund of India.

(ii) TRANSFERABLE: An employee who has been transferred at least once in the preceding 7 years shall be deemed to be transferable.

(iii) TRANSFER: An employee would be treated as transferred only if he/she has been transferred by the competent authority from one place/urban agglomeration to another place/urban agglomeration which is at a distance of at least 20 kms. and minimum period of stay at a place should be six months.

(iv) AUTONOMOUS BODIES/PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS: Organizations which are fully financed by the government or where the government share is more than 51 per cent would be deemed to be autonomous bodies/public sector undertakings.

(v) SINGLE GIRL CHILD: Single Girl Child means the only child *i.e.* only girl child to the parents, with no other siblings.

3. PRIORITIES IN ADMISSION

The following priorities shall be followed in granting admissions:—

(A) KENDRIYA VIDYALAYAS UNDER CIVIL/DEFENCE SECTOR:

1. Children of transferable and non-transferable Central Government employees and children of ex-servicemen. This will also include children

of Foreign National officials, who come on deputation or transfer to India on invitation by Govt. of India.

2. Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous-Bodies / Public Sector Undertaking/Institute of Higher Learning of the Government of India.

3. Children of transferable and non-transferable State Government employees.

4. Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous Bodies/ Public Sector Undertakings/Institute of Higher Learning of the State Governments.

5. Children from any other category including the children of Foreign Nationals who are located in India due to their work or for any personal reasons. The children of Foreign Nationals would be considered only in case there are no Children of Indian Nationals waitlisted for admission.

Note: Preference in Admission to wards will be based on the number of transfers of the parents in the last 7 years.

(B) KENDRIYA VIDYALAYAS UNDER PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS/ INSTITUTES OF HIGHER LEARNING:

1. Children and grandchildren of employees of the Project Sector/Institutes of Higher Learning which are the sponsors of the Vidyalaya, Children of Project employees & Post Graduate students who are working on long term research projects, Children of regular Council of Wardens (COW) employees and children and grandchildren of retired employees.

Note: Preference in Admission will be given to children of serving employees, grandchildren of serving employees and children and grandchildren of retired employees in that order.

2. Children of transferable and non-transferable Central government employees and children of ex- servicemen. This will also include children of Foreign National officials, who come on deputation or transfer to India on invitation by Govt. of India.

3. Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous Bodies/Public Sector Undertaking/Institute of Higher Learning of the Government of India.

4. Children of transferable and non-transferable State Government employees.

5. Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous Bodies/Public Sector Undertakings/Institute of Higher Learning of the State Governments.

6. Children from any other category including the children of Foreign Nationals who are located in India due to their work or for any personal reasons. The Children of Foreign Nationals would be considered only in case there are no children of Indian Nationals waitlisted for admission.

Note: Preference in Admission to wards will be granted based on the number of transfers of the parents in the list 7 years.

4. ELIGIBLE AGE FOR ADMISSION

A Child must be 5 years old as on 31st March in the academic year in which admission is sought for Class I. (Child born on 1st April should also be considered.)

A. The minimum and maximum age limit for admission in Kendriya Vidyalayas in various classes is given below: (Child born on 1st April should also be considered.)

Class	Minimum Age on 31st March of the Year in which Admission is Sought	Maximum Age on 31st March of the Year in which Admission is Sought
I	5 years	7 years
II	6 years	8 years
III	7 years	9 years
IV	8 years	10 years
V	9 years	11 years
VI	10 years	12 years
VII	11 years	13 years
VIII	12 years	14 years
IX	13 years	15 years
X	14 years	16 years

Note : The maximum age limit can be relaxed by two years in case of Differently abled children by the Principal.

B. There is no age restriction for admission to Class XI provided the student is seeking admission in the year of passing Class X examination. Similarly, there will be no upper & lower age limit for admission to Class XII provided there has been no break in the continuous study of the student after passing Class XI.

5. CLASS STRENGTH AND COMPETENT AUTHORITIES

Class Strength	Authority	Date (s)	Remarks
Up to 40	Principal	Up to 30th April	Registered and eligible candidates subject to availability of vacancies except Class XI.
		Up to 3rd June	Registered and eligible candidates subject to availability of vacancies for Class XI only.
Up to 45	Principal	Up to 30th November	This provision is applicable only for those parents of CAT I to IV in Civil & Defence Sector and CAT I to V in Project & Institutes of Higher learning who have been transferred during the Previous year/Current Academic Session after the registration process is over. The admission will be granted on first-cum first serve basis immediately as and when parent approaches for admission in the Vidyalaya.
Up to 50	Principal	Up to 30th November	Defence Personnel (Army/Navy/Air Force) who have been transferred/retired during the Previous year/current Academic Session after the registration process is over. The admission will be granted on first-cum first serve basis immediately as and when parent approaches for admission in the Vidyalaya.

6. RESERVATIONS IN ADMISSION

A. SCHEDULED CASTE AND SCHEDULED TRIBE CATEGORY

15% seats for Scheduled Caste and 7.5% seats for Scheduled Tribes shall be reserved in all fresh admissions in all Kendriya Vidyalayas.

B. DIFFERENTLY ABLED CATEGORY

3% seats of total available seats for fresh admission will be horizontally reserved for Differently Abled-children as per the provisions of RTE Act, 2009 read in conjunction with Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995.

7. ADMISSION WITH KV TRANSFER CERTIFICATE INCLUDING LOCAL TRANSFER (TC).

(i) Admission of children with KV TC will be automatic (over and above class strength) if the parent has been transferred from one station to

another. When the class strength reaches-55, the efforts should be initiated to open additional sections.

(ii) Defence personnel and Para-military Forces who shift their families to a station of their choice whenever they are transferred to some non-family areas or posted in Naxal affected areas, can admit their children on KV TC in a KV located at the station where they will keep their family.

(iii) In all other cases where transfer of the parent is not involved, the admission with KV TC would be done only with the prior approval of the Deputy Commissioner of the region concerned.

(iv) All cases of local transfer on KV TC will be done with the approval of DC concerned on merit.

(v) A student with KV TC may also be permitted in project KVs only up to class strength of 45 with the prior concurrence of Chairman, VMC. Beyond this no admission on KV TC would be done in project schools. However, Deputy Commissioner of the region is empowered to allow admission in the project/nearest KV in extremely deserving cases.

8. STUDENTS OF NIOS / STATE BOARDS / ICSE FOR ADMISSION IN CLASS XI IN KENDRIYA VIDYALAYAS

The students of State Boards/ICSE/NIOS be considered for admission in class XI if vacancies exist.

9. ADMISSION FOR CLASS X AND XII

Admissions to class X & XII, other than KV students, will be entertained subject to availability of vacancies. Such admissions to class X and XII will be considered by the Deputy Commissioner of the Region concerned, only if, the average strength in class X/XII is below 40. This will further be subject to the following conditions:

i. The child has been in the same course of studies *i.e.* in a CBSE affiliated school.

ii. For Class X, the child must have obtained not less than 55% marks in aggregate in class IX.

iii. For admission to class XII, 55% marks in class XI examination is mandatory.

iv. The child should otherwise be eligible as per KVS admission guidelines.

v. The combinations of subjects opted by the Student are available in Kendriya Vidyalayas.

10. ADMISSION OF CHILDREN STUDYING ABROAD SEATS

A KV Student, who went abroad with his parents on their deputation to a foreign country, will be admitted to corresponding class on their return to India by the Principal of Kendriya Vidyalaya, where admission is being sought (such admissions will be over and above the class strength)

11. ADMISSION FOR VACANT SEATS

In case seats remain vacant after 30th June as the case may be, in the year of admission, Deputy Commissioner of the Region is empowered to allow admissions upto the prescribed strength as per priorities in admission upto 31st July.

Note: In case of any issue related to the interpretation of Admission Guidelines, the decision of Commissioner KVS, will be final.

PART B

SPECIAL PROVISIONS

1. Following categories of children would be admitted over and above the class strength except where stated otherwise in the provision itself (*e.g.* Item No. XVI).

i. The children and dependent grandchildren of Hon'ble Members of Parliament.

ii. Children and grandchildren (children of son or / and daughter) of serving and retired KVS employees.

The Children and grandchildren of the serving and retired employees of KVS [Kendriya Vidyalayas, Regional Offices, ZIETs and KVS (HQ)] will be considered for admission at any time of the year irrespective of the class strength/year of transfer/recruitment. However, for class IX, the child has to clear the admission test (The Officials/Officers who come on deputation to KVS their wards should also be treated at par with regular KVS employees).

iii. Children of Central Government employees who die in harness.

iv. Children of recipients of Paramveer Chakra, Mahavir Chakra, Veer Chakra, Ashok Chakra, Kirti Chakra & Shourya Chakra, Sena Medal (Army), Nav Sena Medal (Navy), Vayu Sena Medal (Air Force).

v. Children of recipients of President's Police medal for gallantry & Police medal for gallantry.

vi. Meritorious sports children who have secured I, II & III position in SGFI/CBSE/National/State level games organized by the Government.

vii. Recipients of Rashtrapati Puraskar in Scouts & Guides.

viii. Single girl children in class I and from class VI onwards subject to a maximum of two per section in class I and two per class in class VI and onwards. It includes twin girl children also.

(a) In case of twin girls, it will be treated as one admission.

(b) While drawing the lot, name of both girls (twin) should be written on a single slip/inter linked.

(c) In case of single girl child (including twin girl children), if number of applications are more than the number of allotted seats *i.e.* maximum of 02 per section in class I and 02 per class in class VI and onwards, the admission should be granted on the basis of

the priority category. If in one category more applications are made, all such applications should be taken together and the list of selected candidates should be prepared through draw of lots.

ix. Children who are recipients of National Bravery Award; or of Balshree Award instituted by National Bal Bhawan.

x. Children whose parent is a teacher, and is a recipient of National Award for teachers.

xi. Children who have shown special talent in Fine Arts and have been recognized at the National or State level.

xii. 100 children of employees of the Ministry of HRD would be admitted every year on orders issued by the KVS (HQ) (up to 30th June).

xiii. 60 admissions in Kendriya Vidyalayas located anywhere in India and 15 admissions in hostels of Kendriya Vidyalayas, would be granted to employees of Ministry of External Affairs each year, by orders of KVS (HQ). These would be regulated as follows:—

(a) 60 admissions in Kendriya Vidyalayas located anywhere in India be utilized exclusively for children returning from abroad along with their parents after their posting. Seats under this provision remaining unutilized at the time of normal admissions will remain as such and will be utilized for children who return to India after the beginning of the academic session and up. to 30th September. Children who return to India after 30th September would be considered for admission up to 30th November. No special consideration will be given to MEA staff under this priority. All these admissions will be subject to the condition that not more than 5 children would be admitted in one school in a year and that the children would be submitting a transfer certificate of a school abroad, in which they had been studying prior to seeking admission in a KV.

(b) 15 seats for admission in hostels in Kendriya Vidyalayas would be allotted to the children whose parents are going abroad on a posting to station, which does not have adequate educational facilities. The required information in this respect would need to be given by the Ministry of External Affairs. (upto 30th November)

xiv. 15 children of the employees of the Research and Analysis Wing (RAW) would be admitted on orders to be issued by the KVS Hqrs. of these, a maximum of 5 seats would be given in Delhi and the remaining would be outside Delhi. (upto 30th June)

xv. "In case adequate number of applications for admission of eligible children are not available for provisions under (XII), (XIII), and (XIV), Kendriya Vidyalaya Sangathan may nominate additional names up to

the prescribed limit to ensure full utilization of these provisions". (upto 30th November)

xvi. (a) 05 seats in each section of class I, within the approved class strength (40) will be filled by the children of Sponsoring Agency in all schools except those specifically notified otherwise by the Commissioner.

(b) Similarly, 10 seats in all other classes put together (not more than 02 seats in each section) can be recommended by the Chairman VMC for the wards of employees of the sponsoring Agency. In case adequate number of applications for admission of the wards of employees of sponsoring Agency are not available, the Chairman VMC can recommend wards of other Transferable/ Non-Transferable Central or State Government employees. These admissions will be over and above the class strength, if otherwise eligible as per KVS Admission Guidelines.

xvii. Chairman, Vidyalaya Management Committee can recommend maximum two admissions in the concerned Kendriya Vidyalaya/Shift under his discretionary quota. These two admissions may be recommended in one class or all classes put together, the children so recommended should be otherwise eligible as per KVS Admission Guidelines (upto 16th April).

xviii. Wherever land has been sponsored by DDA for Kendriya Vidyalayas located in Delhi, admission to children of regular DDA employees would be restricted to 5 seats per section in class I and 5 seats in all other classes put together. Admission in class I would be within the approved strength of the section while for other classes this would be over and above the class strength.

xix. Each Hon'ble Member of Parliament can refer 10 (ten) cases for admission under the scheme in an academic year but such recommendations shall be confined to children whose parents belong to his constituency either by domicile or on account of having been soon-before posted there or else on account of exigencies of service, migrate to his Constituency. Such recommendations would be for admissions in Kendriya Vidyalaya(s) located in his constituency only. In case there is no Kendriya Vidyalaya in the constituency of the Hon'ble M.P. (Lok Sabha), he/she may recommend these admissions in the Kendriya Vidyalaya(s) located in any neighbouring contiguous constituency. For Member of the Rajya Sabha, the State from which the member has been elected would be deemed to be his constituency for this purpose Nominated members of the Rajya Sabha and Lok Sabha can recommend 10(ten)s cases for admission in any one or more Kendriya Vidyalayas of the country.

a. These admissions shall be over and above the class strength.

b. These recommendations would be made for classes 1 to IX only.

c. These admissions would be made at the beginning of the academic year and no admission would be allowed after the prescribed cut-off date of the year.

d. The recommendations to be made shall be valid only if these are made in the prescribed format provided to each Member of Parliament by KVS (HQ). Recommendations sent in any other format/manner shall not be considered.

e. The children recommended by Hon'ble Members of Parliament must be otherwise eligible for admission as per the extant KVS Admission Guidelines.

xx. Each Directorate of education of Armed Forces *i.e.* Army, Air Force and Navy and Coast Guards can refer 06cases in admission in an academic year for all classes except pre-primary and classes X and XII. The Directorate of education of Armed Forces *i.e.* Army, Air Force and Navy can recommend 06 names for admission of wards of Defence Personnel who are otherwise eligible for admission in Kendriya Vidyalayas located in Defence Sector. These admissions would be over and above the class strength and would be completed by 31st July. However, under this provision no admission will be made in class X and XII.

2. ADMISSION OF WARDS OF ARMED/PARA MILITARY FORCES

Automatic admission of children in the Kendriya Vidyalayas on the basis of transfer certificate issued by the CBSE affiliated schools run by Armed Forces (Army, Air Force, Navy) and Para Military Forces *i.e.* CRPF/BSF/ITBP/SSB (Sashastra Seema Bal) and CISF will be entertained only if the parent has been transferred to that place or has desired to settle at the place after his retirement, or transferred to some non-family station or posted in Naxal affected areas and choose to keep the family elsewhere.

This provision shall be applicable to schools run by Indian Coast Guard also. This provision may also be extended to the children of government employees studying in schools run by ISRO/AEES (Atomic Energy Education Society).

It is clarified that above provisions are only for the wards of Defence personnel/ Para Military Forces *i.e.* CRPF/BSF/ITBP/SSB (Sashastra Seema Bal) and CISF *viz.* sons & daughters only. This Will not include the grandchildren of Defence personnel. Provisions of KVS admission guidelines including the eligibility criteria for age and Marks/Grades will be followed in letter and spirit. Also, the fee including VVN is to be paid from the month of admission of the child in the Kendriya Vidyalaya regardless of the fact that the fee for succeeding months have already been paid in the school

from which TC has been issued for admission to KV TCs issued by the CBSE schools of Defence Ministry/Deptts./Authority will be endorsed by the concerned Deputy Commissioner of the region where admission is sought.

3. ADMISSION OF PRE-PRIMARY STUDENTS IN CLASS-I

The policy of automatic admission of pre-primary students in class-I has been withdrawn *w.e.f.* session 2008-09. Now all admissions in class-I shall be treated as fresh admissions and shall be dealt with as per rules in vogue.

4. CHILDREN WHO WERE EARLIER STUDYING IN KENDRIYA VIDYALAYA

Children who were earlier studying in Kendriya Vidyalaya but due to (a) transfer of parent; or (b) relocation due to exigency caused by posting of parent to field area was compelled to study in a school other than Kendriya Vidyalaya because no KV was available at that station, if the said parent subsequently gets transferred to a place where a Kendriya Vidyalaya exists, his/her child be considered for admission, consequent upon the transfer/movement of the parent subsequently to a place where a Kendriya Vidyalaya exists, over and above the class strength. A proof to this effect has to be provided by the parent.

PART C

PROCEDURE FOR ADMISSIONS

1. PUBLICITY

An advertisement shall be issued by the Regional Office in the local newspapers in the last week of February giving the admission schedule (Annexure follows) and inviting Parents to register their wards for admission in Kendriya Vidyalayas. This advertisement should specifically indicate that admissions in Kendriya Vidyalayas are not restricted to Central Govt. employees and are open to all, only certain priorities have been laid down for different categories to regulate the admissions. The reservations for SC, ST and Differently Abled under RTE Act , 2009 should also be indicated.

2. REGISTRATION

(i) Registration shall not be done if there is no vacancy or likelihood of any vacancy in a particular class. In case a vacancy arises in future, registration can be made after giving wide publicity at local level and admission can be granted as per KVS Admission Guidelines.

(ii) In case the number of children seeking registration is less because of which all seats have not been filled up, the Principal shall issue a second/third advertisement in the months of May and June notifying the availability of vacancies.

(iii) Admissions are required to be made with the approval of the Executive Committee of the Vidyalaya. In case the Executive Committee does not approve the admissions up to the full sanctioned strength of the class, the Principal shall intimate this fact to the Deputy Commissioner who may approve the admissions.

(iv) Registration for class XI shall be taken up immediately after the declaration of results of class X and admissions up to the full strength of the class should be completed within 20 days after declaration of results by CBSE. In case there is any difficulty in admitting children up to the full strength because of the Executive Committee of the Vidyalaya not approving the same, the procedure as laid down for other classes above shall be followed and admissions up to the sanctioned strength of the class shall be made by 30th June with the approval of the Deputy Commissioner.

(v) Registration forms shall be made available by the Principal FREE OF COST.

(vi) Registration forms complete in all respects and accompanied by all required documents must be submitted/sent to the Vidyalaya concerned within the prescribed date as per notification of the KVS.

(vii) Attested copies of the prescribed documents would be required to be submitted along with the application form for registration.

3. DOCUMENTS

- For Class 1, certificate of proof of age in the form of a birth certificate issued by the authority competent to register births. This will include certificates from Notified Area Council/Municipality/Municipal Corporation extract about the date of birth from records of Village Panchayat, Military Hospital and service records of Defence personnel. For other classes, the date of birth recorded in the transfer certificate issued by a school recognized by the State Education Department would be accepted. The original certificate of date of birth should be returned to the parent after verification. Admissions up to Class-VIII may be granted without any school transfer certificate provided the child is otherwise eligible and his birth certificate has been issued by a Government body.

- For grandchildren of Hon'ble Member of Parliament and PSU employees a proof of relationship of either of the child's parents with the Hon'ble Member of Parliament or PSU employees would be needed.

- For grandchildren of KVS employee a proof of relationship of either of the child's parent with the KVS employee (serving or retired) would be required.

- A certificate that the child belongs to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/ EWS/OBC (Non-Creamy Layer)/BPL wherever applicable, issued by the competent authority in concerned State Gorvernment/Union Government. The certificate in respect of either of the parents may be accepted initially, for the purpose of admission, if this certificate is not available for the Child. However, the certificate in respect of the child has to be submitted within a period of 3 months from the date of admission.

- A certificate from the civil surgeon/rehabilitation centre or any other competent authority defined by the Government of India O.M. No. 36035/5/88/Estt. (sct.) dated 4.5.1999 certifying the child to be handicapped, wherever applicable. In case, where the handicap of the child can be visually seen by the Principal, the child May be accepted as handicapped even without a certificate. However, the parent may be advised to obtain the relevant certificate from the competent authority and submit the same to the school.

- A service certificate showing the number of transfers during the preceding 7 years duly signed and stamped by the head of office bearing the name, designation and other relevant particulars in block letters.

- A certificate of retirement for uniformed Defence employees.
- Proof of Residence.

Note:

(i) Mere registration will not confer a right to admission.

(ii) Incomplete application forms shall normally be rejected. In case vacancies remain, Principal may allow completion of the form later at his discretion.

(iii) Admission secured on the basis of any wrong certificate shall be cancelled by the Principal forthwith and no appeal against such action of the Principal shall be entertained.

(iv) When a child is registered for admission in class I in a Kendriya Vidyalaya but, before declaration of the selection list, his parent is transferred to another station, the child should be deemed to have been registered for admission in the Kendriya Vidyalaya at the station of posting even if the last date of registration at that place has expired. The registration form in original is transferred to the Kendriya Vidyalaya of new place of posting and a photo copy of the same be retained in the school where the child was initially registered.

(v) In respect of Category I, II, Ill and IV admissions, the veracity of the Certificates submitted by the parents in proof of their service must be invariably verified by the Principal.

4. METHOD OF ADMISSION IN CLASS- I

Out of the available seats of fresh admission 15% will be reserved for SC and 7.5% will be reserved for ST. The shortfall in the number of seats reserved for SC and ST, will be worked out after considering number of SC/ST children admitted under RTE quota.

(1) In first phase: 10 seats (out of 40 seats) in Class I per section are to be filled as per RTE Provisions (25% of seats) and these 10 seats will be filled by draw of lots from all applications of SC/ST/EWS/BPL/OBC (Non-Creamy Layer) who are the resident of Neighborhood/Differently abled taken together.

(2) In second phase: remaining seats are to be filled as per existing Priority category system. The shortfall in the seats reserved for SC/ST, if any shall be made good by admitting SC/ST applicants.

For example: In a Single Section School 6 seats are reserved for SC and 3 Seats for ST (15% for SC and 7.5% for ST). Assuming that, 2 SC candidates, 1 ST candidate and 1 Differently Abled candidate are admitted under RTE in the lottery system in first phase, then available SC seats will be considered as 6 - 2 = 4

and ST seats will be 3 - 1 = 2. The left out registered candidates from SC and ST category will be considered as per order of Priority categories for admission. In this case the remaining 24 seats will be available for admission under order of Priority of Category.

Note 1:

(a) In no case the seats reserved as per RTE will be de-reserved.

(b) The seats reserved for SC/ST may be interchanged, by interchanging SC seats to ST and vice-versa after 20th April.

(c) If required numbers of candidates covered under RTE do not register in 1st spell of registration then a second notification may be given in the month of April.

(d) The definition/eligibility criteria of Disadvantaged Group/Weaker Section/BPL/OBC (Non-creamy layer) will be as per the notification of the concerned State Governments. (The DC KVS RO Concerned may issue guidelines regarding BPL/EWS as per the latest notification of the concerned State Governments).

(e) Admission test will not be conducted for Class I.

Note 2:

A. DEFINITION OF DISADVANTAGED GROUP

1. Child belonging to disadvantaged group means a child beloging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, the socially and educationally backward class or such other group having disadvantage owing to social, cultural, economic, geographical, linguistic, gender or such other factor as may be specified by the appropriate government by notification [Section. 2(d) of RTE Act].

2. Child with special needs and suffering from disability will be determined as per the provision mentioned in RTE Act, 2009 or as defined by the concerned State Govt.

B. DEFINITION OF WEAKER SECTION

- Child belonging to weaker section means a child belonging to such a parent or guardian (declared by a Court or a Statute) whose annual income is lower than the minimum limit specified by the appropriate Government, by notification [Section 2(e)].

- The income limit regarding economically weaker sections will be applicable as notified by the State Govt. concerned.

C. DEFINITION OF NEIGHBOURHOOD & PROOF OF RESIDENCE (APPLICABLE FOR ADMISSION UNDER RTE ONLY)

Since Kendriya Vidyalayas are located at places with varied density of population, they have been categorized as follows for determining the limits of neighbourhood:—

1.	Major cities and Urban areas (All District Hqrs. & Metros)	5 kms. Radius
2.	Places and areas other than included in 1 above	8 kms. Radius

Note 3:

1. Proof of residence shall have to be produced by all applicants.
2. A self-declaration in writing from the parent about distance may also be accepted to this effect, subject to verification.

5. ADMISSIONS FOR CLASS I ARE BEING DONE THROUGH ONLINE MODE AND FOR OTHER CLASSES IT IS OFFLINE

Composition of Committee for Offline Draw of lots: Every Kendriya Vidyalaya will constitute a committee for the purpose of monitoring a system of Draw of Lots to be held in Class I or in any other class (for offline mode only) wherever such stage is reached when all candidates of a particular category or having same number of transfers cannot be accommodated against available number of seats.

The committee will comprise the following five (05) members:—

1.	Principal	Convener
2.	Teacher	Member (To be nominated by Principal)
3 & 4.	Two parents (One lady)	Members [One parent has to be from the candidates to be considered under section 12(1)(c) of RTE Act, 2009]
5.	VMC member	Member (To be nominated by Chairman, VMC)

- An additional 6th member can be nominated by the Principal from the students of classes IX to XII wherever these classes exist.
- This committee may be notified with the concurrence of Chairman, VMC, at least 5 days in advance of draw of lots and be displayed on School Notice Board.

6. FEE AND OTHER CONCESSIONS

- No fee to be charged from the children admitted under the 25% quota prescribed under RTE Act, 2009.

- Expenses on account of NCERT text book, note books, stationary, uniform and transport will be reimbursed on production of proper bills in respect of 25% of the children admitted under the RTE Provisions subject to the ceiling prescribed and availability of funds.

- Once the Children are admitted in class I under RTE Act, they will continue to enjoy exemptions and concessions till class VIII either in the same KV or any other KV moving on transfer as per RTE Act.

- Address proof of the parent should be furnished at the time of the registration.

- The employees who have the facility of fee reimbursement in their departments cannot claim RTE concessions.

7. METHOD OF ADMISSIONS IN CLASSES II TO VIII

Admission test shall not be conducted for admission to Classses II to VIII and the admission may be granted based on Priority category system (1 to 5 or 6 as the case may be). If applications are more than the number of seats, lottery system will be followed in each category including single girl child quota (Class VI Onwards).

8. METHOD OF ADMISSIONS IN CLASS IX

For admission to Class IX, an admission test shall be conducted and a merit list will be prepared for each category of priority separately. Admission shall be granted in the sequence of priority categories, in the order of merit.

(i) Admission test shall be conducted in the subjects: Hindi, English, Maths, Social Science and Science.

(ii) There will be only one paper of Admission test of 3 Hours duration & 100 marks comprising Hindi, English, Maths, Social Science & Science each of 20 marks.

(iii) Candidates must secure 33% marks in aggregate to qualify. Students belonging to SC/ST/Divyang category (PH) will be eligible for admission on securing 25% in aggregate.

9. METHOD OF ADMISSIONS IN CLASS XI

KV Students:

Admission in different streams *viz.* Science, Commerce, Humanities of Class XI in KVs for KV students will be based on aggregate marks scored in class X exams as under:

1. Science Stream: A minimum of 60% Marks in aggregate of all subjects.
2. Commerce: A minimum of 55% Marks in aggregate of all subjects.
3. Humanities Stream: All students of KV if declared successful in Class X exam.

Note: If seats remain vacant in class XI even after admitting the children of KV/neighbouring KVs then the admissions to non-KV children may be granted on the same criteria, in the sequence of categories of priority.

However, there could be instances of lower enrolment in Class XI in some KVs, especially those located in hard stations and remote areas after applying the above criteria for admission. In such an eventuality, Principal of the KV concerned should send the proposal of lowering the eligibility criteria for various streams along with the details of registration, No. of eligible students, etc. to the Deputy Commissioner of the region. The Deputy Commissioner may use her/his discretion in lowering the eligibility criteria to the extent as indicated below:

KV Students:

Admission in different streams *viz.* Science, Commerce, Humanities of Class XI in KVs for KV students will be based on Marks scored in class X exams as under:

1. Science Stream: A minimum of 55% Marks in aggregate of all subjects,
2. Commerce: A minimum of 50% Marks in aggregate of all subjects.
3. Humanities Stream: All students of KV if declared successful in class X exam.

Note: If seats remain vacant in class XI even after admitting the children of KV/neighbouring KVs then the admissions to non-KV children may be granted on the same criteria, in the sequence of categories of priority.

Concessions wherever applicable shall be incorporated while preparing the Merit List.

a. In case of two or more candidates obtaining equal marks in aggregate of all subjects, the inter-se merit of such candidates may be determined as follows:

    (i) Candidates obtaining higher marks in Maths will get precedence in admission.

(ii) If two or more candidates have got the game marks in Maths, then the candidates securing higher marks in Maths and Science taken together will get precedence over the others.

(iii) In case of a tie between two or more candidates obtaining same marks in maths and science taken together, the student older in age as per the D.O.B. will be given precedence over the other.

b. Principal may admit non-KV children to class XI only upto the permitted class strength (40). In case of KV Children, normally the class strength be restricted to 55. However to accommodate the eligible KV students over 55, efforts should be initiated to open additional sections.

c. A student who was earlier not found eligible for admission to a particular stream may be allowed fresh admission to a particular stream in class XI in the next academic session, if he/she improves his/her performance within one year from the same Board.

Note: Informatics Practices as an elective subject is offered to all streams. Admission to this would be granted as per the combined merit list.

Computer Science/Bio-Technology, wherever available as an elective subject, is to be offered to students of Science Stream and admission would be granted as per combined merit list. Multi-media & Web-Designing Technology (wherever available) as elective subject may be offered to students of all the streams (Commerce, Humanities & Science) as per combined merit list.

THE FOLLOWING CONCESSIONS WILL BE ALLOWED FOR ADMISSION FOR CLASS XI

(A) The following concession will be granted to students for admission who participated in Games & Sports meet/Scouting & Guiding/NCC/Adventure activities at various levels. The certificate needed for this purpose can be of any of the preceding years.

Sl. No.	Sports & Games	NCC	Scouting/ Guiding	Adventure Activities	Concession of marks for admission
a.	Participation at SGFI or equivalent level	'A' certificate and participation in Republic/PM Rally	Rashtrapati Puraskar award certificate	NIL	6% Marks in aggregate
b.	Participation at KVS National/ State level	'A' certificate and best-Cadet in Distt./State level	Rajya Puruskar award certificate with 07 proficiency badges.	NIL	4% Marks in aggregate
c.	Participation at KVS Regional/ District Level	'A' certificate	Tritiya Sopan certificate with 05 proficiency badges	Participation in at least one 10 days adventure activity	2% Marks in aggregate

(B) Students belonging to SC/ST/Divyang (PH) would be given upgradation. In aggregate by 4% Marks for the purpose of admission to Class XI.

Note: Maximum concession under Sports/Games/NCC/Scout/Guide/ Adventure will not exceed 6% Marks in aggregate. In case of eligibility for more than one concession under different categories as mentioned at (A) and (B) above, only one concession having maximum advantage to the candidate will be allowed. (The same benefit may be extended to non-KV Students for fresh admission in KVs).

अनुबंध तीन

नवोदय विद्यालय योजना

1. सरकार तथा लोगों के कार्यकलापों में राष्ट्रीय एकता की भावना निहित होनी चाहिये। इसको प्रारम्भ करने का एक तरीका लड़के तथा लड़कियों की शिक्षा को राष्ट्रीय एकता के प्रति शुरू से ही अभिन्मुख बनाना है। एकता का एक महत्वपूर्ण माध्यम नई शिक्षा नीति में निहित कोर पाठ्यचर्या है। कोर पाठ्यचर्या में देश के सभी क्षेत्रों का निवेश तथा राज्यों का पर्याप्त रूप में अंशदान स्वाभाविक और अनिवार्य रूप से निहित होगा। उच्च और तकनीकी शिक्षा में, देश के विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों के जाने तथा आने की एक अन्य महत्वपूर्ण बात भी है। अन्य महत्वपूर्ण उपाय छात्रों को उनकी अत्यधिक संवेदनशील आयु में अपने राज्य की अपेक्षा अन्य राज्यों के समकक्ष व्यक्तियों के साथ रहने और शिक्षा ग्रहण करने तथा राष्ट्रीय एकता के अनुभवों की सक्रिय रूप से जानकारी हासिल करने और उनसे अभिप्रेरित होने का अवसर प्रदान करना है।

2. इस बात को अच्छी तरह स्वीकार कर लिया गया है कि विशेष प्रतिभाशाली बच्चों को अन्य की अपेक्षा तेज़गति से आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किये जाने चाहिये। वास्तव में ऐसे बच्चे सभी वर्गों में तथा बहुत से पिछड़े क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में पाये जाते हैं। तथापि, अब तक अच्छी किस्म की शिक्षा समाज के केवल धनी वर्गों को उपलब्ध रही है और गरीब वर्ग इससे वंचित रहा है।

3. इन बातों को ध्यान में रखते हुये, शिक्षा आयोग (1964-66) ने कुछ प्रतिशत स्कूलों का गति निर्धारक संस्थाओं के रूप में चयन करने की सिफारिश की थी। तथापि पिछले अनुभव से यह देखा गया है कि वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत एक गति निर्धारक सुधार कार्यक्रम के लिए स्कूलों और संस्थाओं का चयन करना निम्नलिखित कारणों से व्यावहारिक नहीं है:

   — प्रतियोगिताशाली स्थानीय दावों को ध्यान में रखते हुये, अनेक संस्थाओं में से कुछेक उपयुक्त संस्थाओं का चयन करना कठिन होता है।

   — प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के स्थानांतरण से चुनिंदा स्कूलों की निरंतरता को बनाये रखना और उन पर ध्यान केन्द्रित करना कठिन हो जाता है; और

   — उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के सम्बन्ध में अनेक ऐसे दावे किये जाते हैं जिससे राज्य सरकारें श्रेष्ठता पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्धारित करने में असमर्थ रहती हैं।

4. अत: सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय के रूप में आवासीय स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। नवोदय विद्यालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को प्रोन्नत करने की समानता से संयोजित श्रेष्ठता के लक्ष्य को प्राप्त करना, प्रतिभाशाली बच्चों की अपनी-अपनी पूर्ण क्षमता को विकसित करने के

अवसर प्रदान करना तथा स्कूली सुधार की प्रक्रिया को सुकर बनाना है। इस व्यापक संरचना के अंतर्गत इस योजना के विशेष लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

(i) मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को उनके परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिये बिना अच्छी किस्म की आधुनिक शिक्षा प्रदान करना-इसमें संस्कृति के प्रबन्ध घटक, महत्वों को मन को बैठाना, पर्यावरण, साहसिक कार्यकलापों और शारीरिक शिक्षा की जागरूकता भी शामिल है।

(ii) यह सुनिश्चित करना कि नवोदय विद्यालयों के सभी छात्र त्रिभाषा सूत्र में की गई परिकल्पना के अनुसार तीन भाषाओं में क्षमता का एक उचित स्तर प्राप्त करें; और

(iii) प्रत्येक जिले में अनुभवों और सुविधाओं की साझेदारी के माध्यम से सामान्यत: स्कूल शिक्षा की कोटि में सुधार के केन्द्रीय बिंदुओं के रूप में कार्य करना।

5. नवोदय विद्यालयों में दाखिला कक्षा-VI के स्तर पर किया जायेगा। इस तथ्य के ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार दाखिल अधिकांश छात्रों को पहले मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से पढ़ाया गया होगा, कक्षा-VII अथवा VIII तक-शिक्षा माध्यम से ही प्रदान की जायेगी, इसी अवधि के दौरान, भाषा-विषयों और सह-माध्यम दोनों के रूप में हिन्दी/अंग्रेजी की गहन शिक्षा दी जायेगी। शिक्षण भाषाओं, आधुनिक तकनीकों तथा माध्यम के दक्षतापूर्ण उपयोग के जरिये कक्षा-VII अथवा VIII के बाद हिंदी/अंग्रेजी के अपनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके पश्चात् सभी नवोदय विद्यालयों में भाषा का सामान्य माध्यम हिंदी/अंग्रेजी होगा।

6. इस स्तर पर एक अलग भाषाई क्षेत्र में प्रत्येक नवोदय विद्यालय से दूसरे नवोदय विद्यालय में 20% छात्रों को भेजा जाएगा। प्रवास मुख्यत: हिन्दी भाषा क्षेत्रों में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के बीच होगा। हिंदी भाषी क्षेत्रों में तृतीय भाषा के रूप में वही भाषा पढ़ाई जायेगी जो अहिंदी क्षेत्रों से 20%[1] प्रवासी छात्रों की भाषा होगी। यह भाषा अनिवार्य होगी। अहिंदी भाषी क्षेत्रों में नवोदय विद्यालयों द्वारा कक्षा-VIII अथवा IX में हिन्दी/अंग्रेजी भाषा माध्यम सहित सामान्य त्रिभाषा सूत्र अर्थात् क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी का अनुसरण किया जायेगा।

7. पैरा 5 में उल्लिखित तृतीय भाषा को पढ़ाने से संबंधित नवोदय विद्यालयों में अपेक्षित योग्यता के शिक्षकों को नियुक्त किया जायेगा। संबंधित विद्यालय में विशेष रूप से भाषा समूह से बाहर के उन छात्रों के लिये जिन्हें उत्कृष्ट तथा साहित्यिक विरासत प्राप्त है और जिनके पास उस भाषा और अपने क्षेत्र की विशेष विशिष्टतायें उपलब्ध हैं और जो उस भाषा को बोलते हैं, उनके लिये उसी भाषा में दक्ष तथा समयबद्ध पाठ्यक्रम आरंभ किये जायेंगे। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाते हुये भिन्न-भिन्न भाषा समूहों में गहनतर पारस्परिक जानकारी और उनकी सराहना तथा तुलनात्मक अध्ययन की एक समस्त प्रणाली तैयार की जायेगी। भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने और उनमें जो पूर्वाग्रह तैयार किये गये हैं उनको मिटाने के लिये साहित्यिक विनिमय और जनअन्त: भाषा संदर्भ सामग्री को तैयार करने के लिए यह उसके लिये एक प्रेरणा भी प्रदान करेगी।

1. सन् 1991 से छात्रों का प्रवसन 30% कर दिया गया है।

8. नवोदय विद्यालयों में दाखिला, संबंधित जिलों में एक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा जिसमें वे सभी बच्चे बैठ सकते हैं जिन्होंने जिले की तहसील/खंड के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर कक्षा-V उत्तीर्ण की है। यह परीक्षण रा॰रा॰अ॰प्र॰ परिषद्[1] द्वारा तैयार किया जा रहा है तथा उसे इसके आयोजन और मूल्यांकन में शामिल किया जायेगा। इस परीक्षा का माध्यम मातृ-भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा होगी। व्यापक रूप से ये परीक्षायें गैर-मौखिक स्वरूप कक्षा तटस्थ होंगी और इन्हें इस प्रकार तैयार किया जायेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्रामीण स्कूलों के प्रतिभावान बच्चे किसी कमी के बिना पाठ्यक्रम को पूरा करने के सक्षम हों।

9. नवोदय विद्यालयों में सह-शिक्षा होगी और ये मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिये होंगे। अत: शहरी क्षेत्रों के बच्चों के प्रवेश को अधिक से अधिक एक-चौथाई तक प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा। यह सुनिश्चित करने के लिये कि प्रत्येक नवोदय विद्यालय में कम से कम एक-तिहाई लड़कियां हों प्रयत्न किये जायेंगे।

10. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के पक्ष में सीटों का आरक्षण, संबंधित जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जायेगा किन्तु किसी भी जिले में ऐसा आरक्षण राष्ट्रीय औसत से कम नहीं होना चाहिये। यदि इन दो श्रेणियों में से पर्याप्त संख्या में बच्चे अर्हक से कम नहीं होना चाहिये। यदि इन दो श्रेणियों में से पर्याप्त संख्या में बच्चे अर्हक नहीं होते हैं तो यह संभव होगा कि इन दोनों श्रेणियों में सीटों का पारस्परिक परिवर्तन कर दिया जाये। परीक्षा तकनीकों में अपेक्षित परिवर्तन किये जायेंगे ताकि नवोदय विद्यालयों में अ॰जा॰/अनु॰ज॰जा॰ के बच्चों को दाखिला देने के लिये दिये गये आरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके।

11. नवोदय विद्यालयों में शिक्षा, भोजन, आवास, वर्दी, पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री, आने जाने का रेल/बस का किराया आदि सहित, सभी छात्रों के लिय मुफ्त होगी।

12. नवोदय विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध होंगे। सामान्यत: इनमें प्रत्येक कक्षा में दो अनुभाग होंगे और प्रत्येक अनुभाग में अधिक-से-अधिक 40 छात्र होंगे। ये स्कूल कक्षा-VI से XII तक होंगे। सभी बच्चों के लिए छात्रावास सुविधाओं सहित, ये आवासीय होंगे। इन विद्यालयों में सभी छात्रों के लिये पर्याप्त प्रयोगशालायें और रेडियो, टेलीविजन तथा सूक्ष्म-संगणक जैसी शिक्षा की आधुनिक सुविधायें पर्याप्त मात्रा में प्रदान की जायेंगी ताकि सभी कक्षायें इनके प्रयोग का लाभ उठा सकें। स्कूलों में कुल चार विषय अर्थात् मानविकी, विज्ञान वाणिज्य और व्यावसायिक होंगे। शारीरिक शिक्षा, खेल-कूद, योग, सांस्कृतिक क्रियाकलाप और कलायें, परियोजना कार्य, पदयात्रा, शैक्षिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रुचि के स्थानों का दौरा और कार्य अनुभव को श्रमशील ढंग से प्रोन्नत किया जायेगा और उनके लिये पर्याप्त इंतजाम किये जायेंगे। छात्र सफाई, वृक्षारोपण और परिसर सुधार की जिम्मेदारी निभाने में समान रूप से भागीदार होंगे। श्रम के महत्व और पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम आरम्भ किये जायेंगे।

---

1. सन् 1998 से प्रवेश-परीक्षा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही है।

छात्रावासों में जीवन शैक्षणिक प्रक्रियाओं के एक अभिन्न घटक के रूप में आरम्भ किया जायेगा। नवोदय विद्यालयों में नये-नये परिवर्तन और प्रयोग करने के लिये पूरी व्यवस्था की जायेगी। अन्य बातों के साथ-साथ समस्त शैक्षिक कार्यकलापों का आयोजन, सामाजिक पर्यावरण और अप्रत्याशित घटनाओं के माध्यम से संचरित जटिलताओं और पूर्वाग्रहों के कारण व्यक्तित्व के और शैक्षिक उपलब्धियों के बीच सामाजिक बाधाओं को दूर करने की दृष्टि से किया जायेगा।

13. लेक्चर अध्यापन की वरीयता में अन्तर-क्रियात्मक अध्यापन की व्यवस्था होगी। छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार परियोजना कार्यकलापों के साथ तादात्म्य स्थापित करने और उनको आरम्भ करने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। ऐसे पाठ्य और पाठ्येतर कार्यकलापों में छात्रों की क्षमता के विकास में सम्भावित निवेश किया जायेगा जिसके लिये प्रत्येक स्कूल में विशिष्ट रूप से इन कार्यकलापों के लिये एक शिक्षक उपलब्ध कराया जायेगा। इन स्कूलों के बहुकोणीय तथा महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं और इसलिये इसके पाठ्यक्रम और जांच अतिरिक्त पाठ्येतर कार्यकलापों और शिक्षकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकीय शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र (रा॰ शै॰ अनु॰ प्र॰ परिषद) को इससे सहयोजित किया जायेगा।

14. शिक्षण, प्रयोगशालाओं, पाठ्येतर कार्यकलापों, छात्रावासों और स्टाफ क्वार्टर उपलब्ध करने के लिये पर्याप्त भवनों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। छात्रावास, वार्डन के लिये क्वार्टर के साथ संलग्न शयनागारों के रूप में होंगे जहां प्रत्येक छात्र/छात्रा को उसके परिवार की तरह का वातावरण उत्पन्न किया जायेगा। छात्राओं के लिये अलग से शयनागार और स्टाफ क्वार्टर उपलब्ध होंगे। खेलों और शारीरिक व्यायामों के लिये पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी। पहले-पहले राज्य सरकारों के प्रस्ताव के आधार पर स्थान और भवन का चयन किया जायेगा। वर्तमान स्कूल भवनों परियोजना भवन जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा और इसी प्रकार की पर्याप्त खाली भूमि वाले परिसरों के बारे में भी विचार किया जायेगा। जहां तक सम्भव होगा ये स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्थित होंगे। लोकोपकारकों और स्थानीय लोगों से सहयोग प्राप्त करने के प्रयत्न किये जायेंगे। एक अन्तिम उपाय और केवल क्रियात्मक संरचना के रूप में नये भवन के निर्माण आरम्भ करने का प्रस्ताव है जिसमें यथा सम्भव स्थानीय सामग्री का ही प्रयोग होगा ताकि इससे लागत को कम किया जाये और इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि जिस वातावरण से छात्र आते हैं उससे विमुख न हों।

15. शिक्षकों की भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जायेंगी और उनका स्थानातंरण नवोदय विद्यालयों में ही किया जायेगा। इन शिक्षकों के लिये नौकरी के दौरान ही रा॰ शै॰ अ॰ प्र॰ परि॰ द्वारा प्रबन्धित कालेज क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। यह भी प्रस्ताव है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन, राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संस्थाओं के अनुभवी व योग्य शिक्षकों की सेवायें प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्राप्त की जायें। प्रतिभाशाली और उच्च आकांक्षी अध्यापकों को आकर्षित और उन्हें वहीं रोके रखने के लिये वित्तीय प्रोत्साहनों के अलावा, उनको विशेष गैर-वित्तीय प्रोत्साहन भी दिये जायेंगे। इसके साथ ही

परिणामों के लिये अध्यापकों की (न केवल परीक्षा परिणाम, बल्कि सभी अंशो में परिणाम) जिम्मेदारी की पुष्टि, सुविचारित ढांचे के अनुसार की जायेगी।

16. इन स्कूलों की स्थापना और इनको चलाने के लिये मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में एक स्वायत संगठन का गठन किया गया है। ये सोसाइटी, न केवल मानिटरिंग और मूल्यांकन के लिये बल्कि महत्वपूर्ण रूप से नवोदय विद्यालय पद्धति के लिय मार्गदर्शी प्रयोग और विकासात्मक सुधार के लिये पर्याप्त प्रबन्ध करेगी। मानव संसाधन विकास मंत्री इस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। जैसे ही ये स्कूल अपनी स्थानीय स्थितियों के संदर्भ में अपनी परम्पराओं और विशेषताओं के विकास द्वारा अच्छी प्रगति कर लेंगे तभी इनको आवश्यक सीमा तक दिन-प्रतिदिन प्रशासनिक और शैक्षिक प्रबन्ध के अधिकार देने का प्रस्ताव है।

17. एक बार नवोदय विद्यालय के दक्षता स्तर पर कार्य आरंभ कर लेने पर उन्हें अपने आस-पास के स्कूलों से संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता होगी। यह प्राथमिक स्कूलों के स्तरों में सुधार के लिये उनका मार्गदर्शन करने, दृश्य-श्रव्य उपकरण, लघु संगणक इत्यादि जैसी सुविधाओं का समान रूप से उपयोग करने के साथ-साथ एक आकार ग्रहण कर सकेगा। अन्य स्कूलों की तुलना में गति निर्धारित संस्था के रूप में नवोदय विद्यालयों की भूमिका की अनुभूति स्टाफ को प्रशिक्षण देने में उनकी सहभागिता, संयुक्त रूप से आयोजित कार्यकलापों, अध्ययन के नये तरीकों का प्रसार और सूचना के प्रसार में तथा मूल्यांकन के द्वारा की जायेगी। इस विशिष्ट उद्देश्य के लिये उन्हें निधियां उपलब्ध कराई जायेंगी।

नवोदय विद्यालयों के लिए प्रवेश परीक्षा

सामान्य सूचना:

मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बच्चों को, उनके परिवार की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर विचार किये बिना, संस्कृति के प्रबल घटक, मूल्यों की शिक्षा, पर्यावरण की जागरूकता, साहसिक कार्यकलापों और शारीरिक शिक्षा सहित अच्छी किस्म की आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिये भारत सरकार ने एक योजना बनाई है जिसके अंतर्गत आवासीय सह–शिक्षा नवोदय विद्यालय– औसतन प्रत्येक जिले में एक–स्थापित किये जा रहे हैं।

नवोदय विद्यालय में दाखिला कक्षा–VI से किया जायेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुये कि दाखिल किये गये ऐसे अधिकांश छात्रों को मातृ–भाषा/क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से पढ़ाया गया होगा, कक्षा–VII तथा VIII तक शिक्षा उसी माध्यम से प्रदान की जायेगी, परंतु इस दौरान हिंदी/अंग्रेजी को भाषा विषयों तथा सह–माध्यम, दोनों के रूप में गहन रूप से पढ़ाया जायेगा। तत्पश्चात्, सभी नवोदय विद्यालयों में सामान्य माध्यम हिंदी/अंग्रेजी होगा।

प्रत्येक नवोदय विद्यालय में कक्षा–VI में केवल संबंधित जिले के अधिक से अधिक 80 छात्र दाखिल किये जायेंगे।

पात्रता:

नवोदय विद्यालयों में कक्षा–VI में दाखिला प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जायेगा।

निर्धारित प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक छात्र के लिए यह अनिवार्य है कि उसने कक्षा–V किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से चालू सत्र से ठीक पहले वाले सत्र में उत्तीर्ण की हो।

दाखिला प्राप्त करने वाले वर्ष में छात्र की आयु 1 मई को 9 वर्ष से कम और 13 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। यह आयु सीमा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों सहित सभी श्रेणियों के छात्रों पर लागू होगी।

प्रत्येक जिले में कम से कम 75% स्थान जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से चुने गये छात्रों तथा शेष शहरी क्षेत्रों से चुने गये छात्रों द्वारा भरे जायेंगे।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का निर्धारण ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र में स्कूलों के स्थान निर्धारण के आधार पर किया जायेगा। शहरी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें 1981[1] की जनगणना में अथवा अनुवर्ती सरकारी अधिसूचना में इस प्रकार परिभाषित किया गया हो। शेष सभी क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र समझा जायेगा।

उसी छात्र को ग्रामीण क्षेत्र का छात्र समझा जायेगा जिसने कक्षा–III, IV और V की शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र स्थित मान्यता प्राप्त स्कूल में प्राप्त की है।

स्थान केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आरक्षित है।

---

1. अब 1991 की जनगणना के आधार पर।

आवेदन कैसे करें:

दाखिले के लिये आवेदन-पत्र उस मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां से छात्र ने कक्षा-V उत्तीर्ण की है, के प्रधान के माध्यम से ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की निर्धारित तारीख तक तथा निर्धारित आवेदन-पत्र के प्रपत्र पर भेजा जाना चाहिये। आवेदन-पत्र का प्रपत्र जिले में जिला/ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अथवा मान्यता-प्राप्त विद्यालय (जिसमें कक्षा-V हो) के प्रधानाध्यापक अथवा यदि जिले में पहले से ही कोई नवोदय विद्यालय चल रहा हो तो उसके प्रधानाचार्य से नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

परीक्षा के सम्बन्ध में:

छात्र आवेदन किये गये परीक्षा केन्द्र पर ही प्रवेश परीक्षा में बैठेगा।

परीक्षा का माध्यम वही होगा जिसके द्वारा छात्र ने कक्षा-V में अध्ययन करके परीक्षा उत्तीर्ण की है। प्रवेश परीक्षा में तीन प्रश्न-पत्र होंगे: भाषा (20 अंक), अंक गणित (20 अंक), मानसिक योग्यता (60 अंक) में एक-एक प्रश्न-पत्र होगा। इन सभी तीन प्रश्न-पत्रों में वास्तुनिष्ठ स्वरूप के प्रश्न पूछे जायेंगे:

प्रश्न-पत्र I : 60 मिनट की अवधि की मानसिक योग्यता परीक्षा।

प्रश्न-पत्र II : 30 मिनट की अवधि की भाषा परीक्षा।

प्रश्न-पत्र III : 30 मिनट की अवधि की अंक गणित परीक्षा।

दाखिला:

प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने मात्र से ही छात्र को विद्यालय में दाखिला लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। वास्तविक दाखिला लेते समय प्रत्येक चुने गये छात्र को समिति द्वारा यथा निर्धारित अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

RESERVATION

1.12 67% of the seats in each Sainik School will be reserved for boys from the State in which the Sainik School is located. The shortfall, if any and the remaining seats will be thrown open to boys from other States and Union Territories.

1.13 15% of the total seats are reserved for Scheduled Castes and 7½% seats for Scheduled Tribes.

1.14 25% seats are reserved for children of service personnel including ex-servicemen.

ALLOTMENT OF SEATS

1.15 The number of vacancies available in a Sainik School shall be determined and allocation of those vacancies for boys belonging to the Home State and to the adjoining States/Union Territories for which the school caters shall be worked out. The boys belonging to SC and ST will be admitted on the basis of Rule 1.13 above. The remaining qualified boys from the Home State will then be arranged in one list called List-A from which vacancies earmarked for children of Defence Personnel and ex-servicemen as well as general category candidates shall be allotted from amongst the qualified candidates in the order of merit in accordance with the percentage of reservation for each category. Another list, called List-B will be prepared in which all the boys left over from List-A and also boys not belonging to the Home State shall be included and vacancies left will be further sub-allocated amongst children of Defence Personnel and ex-servicemen as well as general category strictly in the order of the merit achieved in the Entrance Examination. To the extend boys in a particular category are found deficient, the unfilled seats will be available for being filled by general category candidates in List-A or List-B as the case may be.

परिशिष्ट एक

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2019-20)

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2019-20) की 25 अक्तूबर, 2019 को समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई नौवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1200 बजे से 1305 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री गणेश सिंह — **सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्री रमेश बिधूड़ी
3. श्री एस॰ जोतिमणि
4. श्री दिलेश्वर कामैत
5. श्री अजय निषाद
6. डॉ॰ संघमित्रा मौर्या
7. श्री राम शिरोमणि
8. श्री राजेश वर्मा
9. श्री अशोक कुमार यादव

राज्य सभा

10. श्री राम नारायण डूडी
11. श्री टी॰के॰एस॰ एलंगोवन
12. श्री बी॰के॰ हरिप्रसाद
13. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद
14. डॉ॰ बांडा प्रकाश
15. श्री के॰के॰ रागेश
16. श्रीमती विजिला सत्यानंत

17. श्री रामनाथ ठाकुर
18. श्रीमती छाया वर्मा
19. श्री हरनाथ सिंह यादव

सचिवालय

1. श्रीमती अनीता बी॰ पांडा — **संयुक्त सचिव**
2. श्री मो॰ आफताब आलम — **अपर निदेशक**

साक्षी

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री अमित खरे — सचिव
2. डॉ॰ सुखबीर सिंह संधु — अपर सचिव
3. श्री मधु रंजन कुमार — संयुक्त सचिव
4. श्री संजय कुमार — संयुक्त सचिव
5. श्री सचिन सिन्हा — संयुक्त सचिव
6. श्री संजय कुमार सिन्हा — संयुक्त सचिव
7. श्री मदन मोहन — एडीजी, एमएचआरडी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

1. प्रो॰ डी॰पी॰ सिंह — अध्यक्ष
2. डॉ॰ जी॰एस॰ चौहान — संयुक्त सचिव

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रतिनिधि

1. श्री संतोष कुमार मल्ल — आयुक्त
2. श्री सौरभ जैन — अपर आयुक्त
3. श्री यू॰एन॰ खवारे — अपर आयुक्त

नवोदय विद्यालय समिति के प्रतिनिधि

1. श्री विश्वजीत कुमार सिंह — आयुक्त

रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. डॉ॰ अजय कुमार — सचिव
2. श्री जीवेश नंदन — अपर सचिव
3. श्री अशोक कुमार सिंह — संयुक्त सचिव
4. मेजर जनरल देवेश गौड़ — डीजीएमटी

2. सर्वप्रथम, सभापति ने (एक) विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा/तकनीकी संस्थानों (दो) केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों तथा (तीन) सैनिक स्कूलों और राष्ट्रीय मिलिटरी स्कूलों में ओबीसी को प्रवेश में आरक्षण देने के लिए आयोजित बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) के प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

3. बैठक के दौरान सभापति और सदस्यों ने कुछ प्रमुख मुद्दे/प्रश्न उठाए जिन पर मंत्रालयों/विभागों/संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा उत्तर दिए गए:—

(एक) केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों/मिलिटरी स्कूलों में ओबीसी छात्रों को आरक्षण न देने का प्रावधान;

(दो) केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के अधीन बाध्यकारी शर्तों सहित विभिन्न शिक्षा संस्थानों में ओबीसी छात्रों के प्रवेश से संबंधित संवैधानिक और कानूनी उपबंध;

(तीन) एनवीएस/केवीएस/सैनिक स्कूलों में ओबीसी छात्रों की संख्या का ब्यौरा;

(चार) यूजीसी द्वारा 200 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली के समुचित क्रियान्वयन की आवश्यकता;

(पांच) विभिन्न केन्द्रीय/राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षण पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी रखना और इसे गति देना;

(छह) केवीएस और एनवीएस में ओबीसी शिक्षकों का प्रतिनिधित्व।

4. समिति ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों को निदेश दिया कि वे उन प्रश्नों का लिखित उत्तर यथाशीघ्र प्रस्तुत करे जिन प्रश्नों का उत्तर समिति की बैठक में नहीं दिया गया है या जिनके बारे में उनके पास अपेक्षाकृत सूचना उपलब्ध नहीं थी।

इसके बाद, साक्षीगण चले गए।

बैठक की कार्यवाही की शब्दशः प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

परिशिष्ट दो

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2019-20)

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2019-20) की 19 नवंबर, 2019 को समिति कक्ष 'बी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई चौदहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1520 बजे से 1620 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री गणेश सिंह — **सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती रक्षा निखिल खडसे
3. श्री बंदी संजय कुमार
4. श्री सदाशिव किसान लोखंडे
5. डॉ॰ श्रीमती प्रीतम गोपीनाथ मुंडे
6. श्री बालक नाथ
7. डॉ॰ संघमित्रा मौर्या
8. श्री परवतभाई सवाभाई पटेल
9. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील
10. श्री राम शिरोमणि
11. श्री अशोक कुमार यादव

राज्य सभा

12. श्री राम नारायण डूडी
13. श्री बी॰के॰ हरिप्रसाद
14. डॉ॰ बांडा प्रकाश
15. श्री के॰के॰ रागेश
16. श्री रामनाथ ठाकुर
17. श्रीमती छाया वर्मा

सचिवालय

1. श्रीमती अनीता बी॰ पांडा — **संयुक्त सचिव**
2. श्री मो॰ आफताब आलम — **अपर निदेशक**
3. श्री जन्मेश सिंह — **उप सचिव**

साक्षी

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग) के प्रतिनिधि

श्री अमित खरे — सचिव

उच्च शिक्षा विभाग

श्री मधु रंजन कुमार — संयुक्त सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि

प्रो॰ डी॰पी॰ सिंह — अध्यक्ष

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रतिनिधि

श्री संतोष कुमार मल्ल — आयुक्त

नवोदय विद्यालय समिति के प्रतिनिधि

श्री विश्वजीत कुमार सिंह — आयुक्त

रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री अशोक कुमार सिंह — संयुक्त सचिव

2. सर्वप्रथम सभापति ने (एक) विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा/तकनीकी संस्थानों (दो) केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों तथा (तीन) सैनिक स्कूलों और राष्ट्रीय मिलिटरी स्कूलों में ओबीसी को प्रवेश में आरक्षण देने के लिए अनुवर्ती बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और नवोदय विद्यालय समिति (एवीएस) के प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

3. बैठक के दौरान सभापति और सदस्यों ने निम्नलिखित प्रमुख मुद्दे/प्रश्न उठाए जिन पर मंत्रालयों/विभागों/संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा उत्तर दिए गए:—

(एक) केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों/मिलिटरी स्कूलों में ओबीसी छात्रों को आरक्षण न देने का प्रावधान;

(दो) केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के अधीन बाध्यकारी शर्तों सहित विभिन्न शिक्षा संस्थानों में ओबीसी छात्रों के प्रवेश से संबंधित संवैधानिक और कानूनी उपबंध;

(तीन) केवीएस और एनवीएस में ओबीसी शिक्षकों का प्रतिनिधित्व;

(चार) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों का संविदात्मक नियुक्ति/तदर्थ नियुक्तियों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व;

(पांच) विभिन्न केन्द्रीय/राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षण पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रखना और इसे गति देना;

(छह) रोजगार में ओबीसी आरक्षण के संबंध में डीओपीटी के सभी आदेशों/दिशानिर्देशों पर अनुवर्ती कार्रवाई।

4. समिति ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों को निदेश दिया कि वे उन प्रश्नों का लिखित उत्तर यथाशीघ्र प्रस्तुत करें जिन प्रश्नों का उत्तर समिति की बैठक में नहीं दिया गया है या जिनके बारे में उनके पास अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं थी।

समिति की बैठक स्थगित हुई।

बैठक की कार्यवाही की शब्दशः प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

परिशिष्ट तीन

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2019-20)

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2019-20) की 12 दिसंबर, 2019 को समिति कक्ष 'बी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई अठारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1500 बजे से 1510 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री गणेश सिंह — **सभापति**

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती एस॰ जोतिमणि
3. श्री दिलेश्वर कामैत
4. डॉ॰ संघमित्रा मौर्या
5. श्री राजेश वर्मा

राज्य सभा

6. श्री राम नारायण डूडी
7. श्री बी॰के॰ हरिप्रसाद
8. डॉ॰ बांडा प्रकाश
9. श्री रामनाथ ठाकुर
10. श्रीमती छाया वर्मा
11. श्री हरनाथ सिंह यादव

सचिवालय

1. श्रीमती अनीता बी॰ पांडा — **संयुक्त सचिव**
2. श्री एन॰के॰ पाण्डेय — **निदेशक**
3. श्री मोहम्मद आफताब आलम — **अपर निदेशक**
4. श्री जन्मेश सिंह — **उप सचिव**

2. सर्वप्रथम सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया। इसके पश्चात्, समिति ने 'केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों/राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में प्रवेश और रोजगार में ओबीसी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय' विषय पर विचार करने और स्वीकार करने के लिए प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया।

3. समिति ने कुछ विचार-विमर्श के पश्चात् प्रारूप प्रतिवेदन को स्वीकार किया तथा सभापति को इसे अंतिम रूप देने के लिए संसद की दोनों सभाओं में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

MGIPMRND—5512LS—19-08-2020.

संसदीय प्रकाशन संसद भवन के बिक्री पटल पर उपलब्ध हैं। इन्हें निम्नलिखित प्राधिकृत एजेंटों से भी प्राप्त किया जा सकता है:—

क्रमांक	एजेंट का नाम
	आंध्र प्रदेश
1.	मैसर्स अशोक बुक सेंटर, बेंच सर्किल, वसाव्य नगर, विजयवाड़ा-520 006 (आं॰प्र॰)
	बिहार
2.	मैसर्स प्रोग्रेसिव बुक सेंटर, जिला स्कूल, पानी टंकी चौक, रमना, मुजफ्फरपुर-842 002 (बिहार)
	दिल्ली
3.	मैसर्स जैन बुक एजेंसी, सी-9, प्रेम हाऊस, कनॉट प्लेस, पो॰ बैग नं॰ 1113, नई दिल्ली-110 001
4.	मैसर्स बुकवेल, 2/72, संत निरंकारी कॉलोनी, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली-110 009
5.	मैसर्स राजेंद्र बुक एजेंसी, चार-डी-50, लाजपत नगर, ओल्ड डबल स्टोरी, नई दिल्ली-110 024 (दूरभाष: 26412362 और 26412131)
6.	मैसर्स सेंट्रल न्यूज एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, पी-23, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110 001
7.	प्रबंधक, मैसर्स सेंट्रल बुक्स इंडिया कारपोरेशन, पब्लिशर्स, इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, एल-27, शास्त्री नगर, दिल्ली-110 052
8.	मैसर्स संगम बुक डिपो, एलजी-3, आकर्षण भवन, 23, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली-110 002
9.	मैसर्स बिवलिया इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड 2/18, अंसारी रोड, नई दिल्ली-110 002 (दूरभाष: 23262515)
10.	मैसर्स यूनिवर्सल बुक ट्रेडर्स, 80, गोखले मार्केट, न्यू कोर्ट्स के सामने, दिल्ली-110 054 (दूरभाष: 23911966)
11.	मैसर्स सेठ एंड कं॰, कमरा नं॰ 31 डी, बी-ब्लाक, दिल्ली उच्च न्यायालय, शेरशाह रोड, नई दिल्ली-110 003
12.	मैसर्स धनवंत्र मेडिकल एंड लॉ हाऊस, 592, लाजपत राय मार्केट, दिल्ली-110 006 (दूरभाष: 23866768)
13.	मैसर्स जेना बुक डिपो, चौक छप्परवाला, बैंक स्ट्रीट, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005
14.	मैसर्स स्टेंडर्ड बुक कं॰-125, म्युनिसिपल मार्केट, कनॉट प्लेस, पो॰ बैग नं॰ 708, नई दिल्ली-110 001 (दूरभाष: 23411919)
15.	मैसर्स डी॰के॰ एजेंसिज (प्रा॰) लि॰, ए/15-17, मोहन गार्डेन, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110 059
16.	मैसर्स विजय बुक सर्विस, सी-डी/123/सी, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110 034
	मध्य प्रदेश
17.	मैसर्स सुविधा लॉ हाऊस, 28, मालवीय नगर, रोशनपुरा, भोपाल-462 003
	महाराष्ट्र
18.	मैसर्स ऊषा बुक डिपो, 585/ए, चित्रा बाजार, खान हाऊस, पो॰ बैग नं॰ 2621, मुम्बई-400 002
19.	मैसर्स जैन बुक एजेंसी (इंडिया), 649-ए, गिरगौम रोड, दूसरा धोबी तालाब लेन के सामने, मुम्बई-400 002
	पुडुचेरी
20.	एडिट्स ऑफ डिबेट्स, लेजिस्लेटिव एसेम्बली डिपार्टमेंट, पुडुचेरी-605 001
	तमिलनाडु
21.	मैसर्स एम॰एम॰ सब्सक्रिप्शन एजेंसीज, 123, थर्ड स्ट्रीट टाटाबाद, कोयंबटूर-641 012
22.	मैसर्स सी॰ सीतारमन एंड कं॰, 73/37, रायपेठा हाई रोड, चेन्नई-600 014
	उत्तर प्रदेश
23.	मैसर्स लॉ पब्लिशर्स, सरदार पटेल मार्ग, पो॰ बैग नं॰ 1077, इलाहाबाद (यू॰पी॰)
24.	मैसर्स राम आडवानी बुक सेलर्स, मैफेयर बिल्डिंग हजरत गंज, जीपीओ बॉक्स नं॰ 154, लखनऊ-226 001

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा मुद्रित।